



# कृषीयं

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 67


अंक : 9

पृष्ठ : 56

जुलाई 2021

मूल्य : ₹ 22

## ग्रामीण अवसंरचना



अब उपलब्ध हैं...




## प्रकाशन विभाग

(सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार)

तथा

## इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च

का प्रकाशन



मूल्य - ₹ 215/-

## कोविड-19 पेंडेमिक (हिस्ट्री, साइंस एंड सोसाइटी)

आज ही नज़दीकी पुस्तक विक्रेता से खरीदें

ऑर्डर के लिए संपर्क करें :

फोन : 011-24365609

ई-मेल : [businesswng@gmail.com](mailto:businesswng@gmail.com)

वेबसाइट : [publicationsdivision.nic.in](http://publicationsdivision.nic.in)

ट्रिवटर पर फोलो करें @DPD\_India





# सुदृढ़ बुनियादी ढांचे से ग्रामीण भारत का विकास

-डॉ. इशिता जी. त्रिपाठी

एक मज़बूत ग्रामीण बुनियादी ढांचा अपने बहुआयामी प्रभाव से ग्रामीण परिवर्तन में योगदान देता है। इसलिए विपरीत पलायन करने वाले प्रवासियों सहित करोड़ों ग्रामीण निवासियों की आय और आजीविका सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण और सुदृढ़ीकरण को सुनिश्चित करने की सख्त आवश्यकता है। हालांकि मुख्य चुनौतियां निवेश को आकर्षित करने, गुणवत्ता बनाए रखने और भारत सरकार के कई संबंधित मंत्रालयों/विभागों के कार्यक्रमों और योजनाओं के अभिसरण को सुनिश्चित करने से जुड़ी हैं।

**आ**त्मनिर्भर भारत के मिशन को पूरा करने के लिए एक सुदृढ़ लिंकेज प्रभावों— बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों के माध्यम से मज़बूत हुआ ग्रामीण बुनियादी ढांचा कृषि और गैर-कृषि उत्पाद विपणन के बेहतर विकल्प प्रदान करने में सक्षम है और इस तरह ग्रामीण व्यवस्था में विभिन्न गतिविधियों में संलग्न किसानों, निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को पर्याप्त पारिश्रमिक देने में सक्षम है। घर-घर तक वस्तुओं की उपलब्धता और सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करके मज़बूत बुनियादी ढांचा कठिनाइयों को भी कम करता है और उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करता है। अध्ययनों से भी यह भली-भांति सिद्ध हुआ है कि एक सुविकसित ग्रामीण बुनियादी ढांचा समावेशी विकास में सकारात्मक योगदान देता है क्योंकि यह न केवल शेष अर्थव्यवस्था के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है बल्कि उत्पादन और संभरण की कम लागत और रसद के माध्यम से आर्थिक विकास, उत्पादकता में

बढ़ोत्तरी, बड़े पैमाने पर किफायतों में सुधार, रोज़गार में वृद्धि, बेहतर अर्थव्यवस्था, और ग्रामीण कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश में वृद्धि भी सुनिश्चित करता है।

बुनियादी ढांचा आत्मनिर्भर भारत के पांच अंतर्निहित स्तंभों में से एक है। अन्य चार हैं— अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी-संचालित कार्यव्यवस्था, स्पंदनशील जनसांख्यिकी और मांग। 'बुनियादी ढांचा' शब्द के व्यापक अर्थ हैं। यह अनेक खंडों और विषय क्षेत्रों में फैला हुआ है। नतीजतन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वांछित कार्यक्रम कई संबद्ध मंत्रालयों और भारत सरकार के विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास को एक बहु-आयामी कार्यनीति के रूप में लिया गया है जिसमें विशेष क्षेत्रों जैसे सड़कों के निर्माण और रखरखाव (जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) से लेकर बुनियादी ढांचे की सुविधाओं (श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुबन मिशन) के लिए क्लस्टर विकास तक की केंद्रित पहलें शामिल हैं। बुनियादी ढांचा एक





हैं जो राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं और देश के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ते हैं। महामारी और लॉकडाउन के बावजूद 2020–21 में प्रतिदिन 37 किलोमीटर राजमार्ग बनाने की उल्लेखनीय उपलब्धि रही। बेहतर सड़कें बनाना सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में की गई पहलें वास्तव में पथ–प्रवर्तक रही हैं। इनमें से एक निर्णय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नेटवर्क सर्वे व्हीकल को तैनात करने का है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019 के दौरान देश में सभी सड़क दुर्घटनाओं में से 36 प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई। ग्रामीण या शहरी क्षेत्र का ब्यौरा दर्शाता है कि सभी सड़क दुर्घटनाओं में से 60.34 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हुई हैं। ज़ाहिर है इस स्थिति में सुधारात्मक कार्रवाई की ज़रूरत है। इस दिशा में एक कदम और रहा गोल्डन ऑवर यानी दुर्घटना के बाद पहले अहम घंटे के दौरान घायलों को समय पर सहायता सुनिश्चित करवाना जिसके लिए अप्रैल, 2021 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए जीवनरक्षक सहायता प्रणाली के साथ 90 बेसिक केयर एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाई।

महामारी से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपयोगकर्ताओं के लिए अनेक सक्रिय कदम उठाए गए हैं जिससे सेवाओं की उपलब्धता सुगम हो। इनमें से कुछ हैं ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना जैसे लर्नर लाइसेंस आदि और ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए अनुग्रह अवधि प्रदान करना, आवश्यक सामान ले जाने वाले ट्रकों/लॉरियों के अंतर–राज्यीय सीमा से आवागमन की सुविधा आदि। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐप–आधारित दोपहिया टैक्सियों के संचालन के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सुझाव से खेतिहर और अन्य ग्रामीण समुदायों को अपनी गतिविधियों के सुचारू संचालन में सहायता मिलेगी। सड़क–ट्रेनों की सुरक्षा आवश्यकताओं के मसौदे को जारी करना माल की कुशल आवाजाही की दिशा में प्रयास के साथ–साथ

#### तालिका–2: कृषि विपणन बुनियादी ढांचे के तहत आवंटित और जारी की गई धनराशि और सहायता प्राप्त गोदामों/भंडारों की संख्या

वित्तीय वर्ष	फंड आवंटन (करोड़ रुपये में)	कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी किए गए फंड (करोड़ रुपये में)	सहायता प्राप्त गोदामों/भंडारों की संख्या
2017–18	486.89	378.32	1,325
2018–19	104.45	55.13	122
2019–20	79.04	56.13	432
2020–21 (31 अगस्त, 2020 तक)	213.83	37.60	219

स्रोत: लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 432 जिसका उत्तर 15 सितंबर, 2020 को दिया गया।

पर्यावरण हितकारी विसंकुलता की ओर एक कदम है।

व्यापक नेटवर्क के कारण रेलवे लंबी दूरी की यात्रा के लिए परिवहन का पसंदीदा साधन है। महामारी के दौरान जिसमें लॉकडाउन भी शामिल है, रेलवे ने यह सुनिश्चित रखा कि आवश्यक वस्तुएं, जिनमें खाद्यान्न, फल और सब्जियां शामिल हैं, अपने गंतव्य तक पहुंचे। लोगों को महामारी के प्रसार से बचाने के उद्देश्य से रेलवे ने वृहद उपायों की घोषणा की जिनमें गैर–ज़रूरी यात्रा न करने का आग्रह और चरणबद्ध तरीके से यात्री सेवाओं को बहाल करना शामिल है। 1 मई से 31 अगस्त, 2020 के बीच कुल 4,621 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं, जिनमें 63.19 लाख विपरीत पलायन करने वाले प्रवासियों को ले जाया गया। इसके अलावा, उत्पादन और खपत केंद्रों को जोड़कर जल्दी खराब होने वाले फलों और सब्जियों के परिवहन के लिए कृषि रेल का विस्तार और किसानों को किसान रेल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और उत्पादकों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। किसान रेल को अक्टूबर, 2020 से अधिसूचित फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50 प्रतिशत समिर्द्धी सीधे दी जा रही है। ये महत्वपूर्ण पहलें हैं जिनका उद्देश्य निर्बाध आपूर्ति शृंखला सुनिश्चित करना और जल्दी खराब होने वाले उत्पादों की बर्बादी को कम करना है।

अंतर्देशीय जल परिवहन द्वारा माल ढुलाई लागत (1.06 रुपये/टन–किलोमीटर) रेलवे (1.36 रुपये/टन–किलोमीटर) और राजमार्ग (2.50 रुपये/टन–किलोमीटर) की तुलना में सबसे कम है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से विभिन्न घरेलू बाज़ारों में कृषि और गैर–कृषि उत्पादों के सुचारू, समय पर और किफायती ढुलाई के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग एक सक्षम लॉजिस्टिक विकल्प तैयार कर सकता है। यह कम लागत वाले अंतर्देशीय जल परिवहन संचालन की शुरुआत कर सकता है। उदाहरण के लिए फरवरी, 2021 से अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से तरलीकृत प्राकृतिक गैस की ढुलाई की जा सकती है। अंतर्देशीय जलराशि पर पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश के साथ हस्ताक्षरित हालिया प्रोटोकॉल में नए मार्गों आदि





# प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

—डॉ. के.के. त्रिपाठी

रोजगार, आय और संपदा में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों का योगदान काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि कृषि अवसंरचना सुविधाएं कितनी टिकाऊ हैं और किस प्रकार देश स्वयं को बेहतर अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उन्नत कृषि पद्धतियों, जलवायु अनुकूल किस्मों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए तैयार करता है। इस लेख में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमके एसवाई) — एकीकृत ग्रामीण सिंचाई बुनियादी ढांचा पहल, जिसमें बेहतर जल उपयोग कुशलता के माध्यम से कृषि उत्पादकता में योगदान करने की अपार क्षमता है, के विशेष संदर्भ में सिंचाई के बुनियादी ढांचे की स्थिति की समीक्षा की गई है।

**रा**ष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उर्ध्वग्रामी दृष्टिकोण को अपनाने के महत्व को उचित रूप से रेखांकित किया था और उनके कथन “असली भारत अपने गांवों में बसता है” को बहुधा विभिन्न विकास मंचों में दोहराया जाता है। आज भारत की लगभग 69 प्रतिशत आबादी (88 करोड़) ग्रामीण है और 6.45 लाख से अधिक गांवों में बसी है। विशाल ग्रामीण आबादी, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सर्वांगीण विकास की मांग करती है। नीति निर्माता सामाजिक न्याय के साथ समावेशी विकास के मिशन को हासिल करने के लिए इसे बहुत महत्व देते हैं। 12 पंचवर्षीय योजनाओं और कई वार्षिक बजट संचालित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत सरकार और राज्यों द्वारा अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम उन्मुख

विकास पद्धतियों का पालन किया गया। योजना और लोकतंत्र के सात दशकों के दौरान आर्थिक विकास के लिए युक्तिपूर्ण पहलों की शृंखला का भारत साक्षी है। देश के अर्थशास्त्रियों, योजनाकारों और नीति निर्माताओं ने हमेशा एक जीवंत ग्रामीण भारत की कल्पना की है और वे ग्रामीण बुनियादी ढांचे के सुधार और विस्तार के पक्षधर रहे हैं जैसे कृषि-बुनियादी ढांचा, पेयजल और सिंचाई, सड़क और इंटरनेट कनेक्टिविटी, आवास, स्वच्छता, बिजली, विपणन, संभरण गतिविधियां आदि।

## ग्रामीण बुनियादी ढांचा: पिछली पहलें

समावेशी विकास प्रक्रिया सुविधा में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने चार वर्षों (2005–2009) में कार्यान्वयन के लिए समयबद्ध व्यापार योजना के रूप में ‘भारत निर्माण’ नामक एक विशिष्ट ग्रामीण बुनियादी ढांचा







कृषि क्षेत्र और कृषि योग्य बंजर भूमि के वर्षा—आधारित हिस्सों को विकसित करना है जिसका उद्देश्य ड्राउट प्रूफिंग (सूखारोधन) और मिट्टी के कटाव को रोकना, पेड़—पौधे लगाना, वर्षाजल संचयन और भूजल का पुनर्भरण सुनिश्चित करना है।

31 मार्च, 2020 तक, लगभग 125 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है जिसमें से 59.62 लाख हेक्टेयर ड्रिप सिंचाई के तहत हैं और 6.57 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई है। तालिका-2 सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 31 मार्च, 2020

तक कवर किए जाने वाले क्षेत्रों का राज्यवार विवरण देती है।

जल के महत्व और सिंचाई के लिए इसके कुशल उपयोग को समझाने का समय आ गया है। लघु सिंचाई पहलों का न केवल जल की बचत और संरक्षण अभियान पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है बल्कि वे फसल विशिष्ट जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने में भी सहायता करते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)— प्रति बूंद अधिक फसल सटीक या सूक्ष्म सिंचाई और बेहतर ऑन-फार्म जल प्रबंधन पद्धतियों के माध्यम से खेत-स्तर पर जल उपयोग

### **तालिका-1. पीएमकेएसवाई के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत उत्पन्न सिंचाई क्षमता – सभी प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं (प्रति हजार हेक्टेयर में)**

क्र. सं.	राज्य	एआईबीपी के तहत लक्ष्य	एआईबीपी के तहत उत्पन्न क्षमता					मार्च 2020 तक एआईबीपी के तहत उत्पन्न क्षमता	एआईबीपी के तहत लक्ष्य के मुकाबले उत्पन्न क्षमता का प्रतिशत
			2000-01	2005-06	2010-11	2015-16	2019-20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	788.9	0.4	26.8	60.1	29.1	0.0	330.8	41.9
2	असम	162.3	7.5	2.7	6.2	0.0	0.0	123.9	76.3
3	बिहार	684.7	13.5	174.6	0.0	0.0	1.9	480.2	70.1
4	छत्तीसगढ़	213.7	2.7	11.6	2.8	1.1	0.0	208.7	97.7
5	गोवा	23.8	0.1	0.3	0.8	0.0	0.0	20.7	86.9
6	गुजरात	1,830.2	40.6	34.1	28.9	185.9	28.7	1,897.1	103.7
7	हरियाणा	201.0	11.2	6.9	0.0	0.0	0.0	115.2	57.3
8	हिमाचल प्रदेश	37.5	0.3	0.5	5.0	0.0	0.0	37.5	100.0
9	जम्मू और कश्मीर	105.7	0.9	1.3	8.9	1.0	5.3	64.1	60.6
10	झारखण्ड	293.8	1.8	0.0	1.7	0.0	0.0	121.6	41.4
11	कर्नाटक	953.5	4.8	50.5	24.7	88.4	1.9	845.2	88.6
12	केरल	57.5	1.6	0.6	2.6	0.5	1.0	52.1	90.7
13	मध्य प्रदेश	1,028.5	9.5	21.1	89.7	52.0	11.2	975.2	94.8
14	महाराष्ट्र	1,215.2	21.5	34.5	34.8	24.3	66.2	906.2	74.6
15	मणिपुर	52.0	0.0	0.0	4.0	2.0	0.0	40.4	77.7
16	मेघालय	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	ओडिशा	649.9	13.0	4.2	36.2	7.3	15.2	320.8	49.4
18	पंजाब	337.6	14.2	18.0	25.0	2.9	0.0	212.8	63.0
19	राजस्थान	1,605.2	12.7	81.2	396.0	6.3	0.1	1,161.1	72.3
20	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-	-
21	तेलंगाना	827.9	8.4	34.7	8.1	69.2	3.7	633.3	76.5
22	त्रिपुरा	24.5	0.8	2.1	0.5	0.0	0.0	16.8	68.5
23	उत्तर प्रदेश	3,213.9	351.2	111.3	175.3	63.8	182.0	2,398.2	74.6
24	उत्तराखण्ड	270.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
25	पश्चिम बंगाल	551.0	16.2	5.2	15.3	0.0	0.0	147.5	26.8
	कुल		533.1	622.1	926.7	533.7	317.2	11,109.4	73.4

स्रोत: आर्थिक एवं सांस्थिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार।



दक्षता सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, कृषि के लिए जल की मांग घटाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों की पहलें सिंचाई के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने में केंद्र सरकार के अभियान की पूरक हैं। मसलन जहां हरियाणा और पंजाब द्वारा धान की जलदी बुवाई पर प्रतिबंध है, वही हरियाणा की 'जल ही जीवन है, योजना के माध्यम से कम जल खपत वाली फसलों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसी तरह गन्ने की खेती आदि के लिए ड्रिप सिंचाई के अनिवार्य उपयोग पर महाराष्ट्र के नीति निर्देश राज्य के जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में जल की बचत और जल संसाधनों के संरक्षण में मदद करते हैं।

### पीएमके एसवाई: 2021–22 बजट लक्ष्य

भारत में सिंचित कृषि के लिए जल उपयोग दक्षता अपेक्षाकृत कम रही है। परिणामस्वरूप अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में प्रति इकाई फसल उत्पादन में जल की अधिक मात्रा का उपयोग होता है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2021–22 के अपने निर्गम परिणाम मैट्रिक्स में जमीनी–स्तर पर सिंचाई क्षमता और उनके उपयोग में दक्षता बढ़ाने के अपने प्रयासों में तेज़ी लाने का प्रयास किया। बजट 2021–22 में परिणामों के साथ परिभाषित प्रमुख प्राथमिकताएं निम्नलिखित हैं:

- अतिरिक्त 20 लाख हेक्टेयर भूमि को लघु सिंचाई के तहत लाना, फसल विविधीकरण के साथ सटीक सिंचाई 6 लाख किसानों द्वारा अपनाना।
- जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एक लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को जल गहन फसलों के लिए लघु सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- 50,000 हेक्टेयर कृषि भूमि के सूखारोधन के उद्देश्य से 25,000 अतिरिक्त सूक्ष्म जल संचयन संरचनाएं बनाई गईं।
- उपज और आय बढ़ाने, भूजल पुनर्भरण और जल की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत

54 परियोजनाओं को पूरा करके 3.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का निर्माण।

- क्षमता और उपयोग के बीच के अंतर को कम करने के लिए दो लाख हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि योग्य कमांड क्षेत्र को कवर किया गया।

**तालिका—2: सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कवर किए जाने वाले राज्यवार क्षेत्र (31.03.2020 तक)**

(हेक्टेयर)

क्र. सं.	राज्य का नाम	ड्रिप	स्प्रिकलर	कुल
1	आंध्र प्रदेश	138,8126	519,165	1,907,291
2	अरुणाचल प्रदेश	613	0	613
3	असम	2,374	11,320	13,694
4	बिहार	12,488	106,979	119,467
5	छत्तीसगढ़	27,504	316,456	343,960
6	गोवा	1,336	1,264	2,600
7	गुजरात	800,720	728,843	1,529,563
8	हरियाणा	35,812	592,221	628,033
9	हिमाचल प्रदेश	6,900	5,386	12,286
10	जम्मू और कश्मीर	93	57	150
11	झारखण्ड	25,081	17,298	42,379
12	कर्नाटक	723,178	1,048,906	1,772,084
13	केरल	23,954	8,922	32,876
14	मध्य प्रदेश	322,181	249,036	571,217
15	महाराष्ट्र	1,314,779	561,647	1,876,426
16	मणिपुर	358	2,584	2,942
17	मेघालय	308	307	615
18	मिज़ोरम	5,088	1,688	6,776
19	नागालैंड	2,424	5,855	8,279
20	ओडिशा	26,134	105,095	131,229
21	पंजाब	36,025	13,704	49,729
22	राजस्थान	264,298	1,685,006	1,949,304
23	सिक्किम	6,350	5,260	11,610
24	तमिलनाडु	686,572	252,573	939,145
25	तेलंगाना	195,831	71,009	266,840
26	त्रिपुरा	444	1,651	2,095
27	उत्तर प्रदेश	32,442	178,624	211,066
28	उत्तराखण्ड	10,965	7,944	18,909
29	पश्चिम बंगाल	10,329	78,182	88,511
कुल		5,962,707	6,576,982	12,539,689

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार।

- भागीदारी प्रबंधन को मज़बूत करने के लिए 400 अतिरिक्त जल उपयोगकर्ता संघों का गठन और जल उपयोगकर्ता संघों को अतिरिक्त 300 परिसंपत्तियां सौंपना।
- पांच लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा करने के लिए 100 अतिरिक्त जल निकायों और सतही लघु सिंचाई



परियोजनाओं की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार किया गया।

### पीएमकेएसवाई: आउटपुट, परिणाम और अवरोध

पीएमकेएसवाई का उद्देश्य न केवल सिंचाई की उपलब्धता और विस्तार करके कृषि जल उत्पादकता को बढ़ाना है बल्कि दोनों-सिंचित और बारानी कृषि गतिविधियों में जल उपयोग दक्षता भी सुनिश्चित करना है। सिंचाई दक्षता के साथ-साथ लघु सिंचाई पर अधिक से अधिक ज़ोर देने से मिट्टी के जल की कमी और सूखे के मुद्दों को दूर करके कम जल और कम क्षेत्र में बेहतर उपज सुनिश्चित होगी और देश में मृदा-जल पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने में भी मदद मिलेगी। पीएमकेएसवाई के प्रभावी

कार्यान्वयन से भविष्य में कृषि में स्थिरता आएगी। पीएमकेएसवाई घटकों के आउटपुट, परिणाम और अवरोध विश्लेषण को तालिका-3 में समझाया गया है।

### निष्कर्ष

जल जो कृषि की जीवनरेखा है, सभी सजीव प्राणियों के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है और साथ ही, खाद्यान्न उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। बार-बार आने वाले शुष्क दौर, सिंचाई के लिए भूजल की कम उपलब्धता और परिणामवश सूखा और सूखे जैसी स्थितियां भारतीय कृषि उत्पादन और उत्पादकता को प्रभावित करती हैं। इसके कारण देश में सिंचाई की आधुनिक और

**तालिका 3: सतत कृषि के लिए प्रमुख पीएमकेएसवाई घटकों का आउटपुट, परिणाम और अवरोध विश्लेषण**

घटक	आउटपुट	परिणाम	समस्याएं / अवरोध
प्रति बूंद अधिक फसल (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)	<ul style="list-style-type: none"> <li>कुशल जल प्रवाह और स्टीक जल प्रयोग उपकरण उपलब्ध कराना-स्प्रिंकलर, ड्रिप, पिवट, रेन-गन, आदि।</li> <li>वर्षा सिंचित कृषि में सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>फसल उत्पादकता में वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि</li> <li>बेहतर जल उपयोग दक्षता</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>उप-योजना के तहत सृजित और प्रदान की गई परिसंपत्तियों की स्थायित्वता</li> <li>रखरखाव की चुनौतियां और लागत का दबाव</li> <li>किसानों में पर्याप्त वैज्ञानिक ज्ञान, प्रशिक्षण और जागरूकता का अभाव</li> <li>फसल विविधीकरण के बारे में जानकारी का अभाव</li> </ul>
वाटरशेड विकास (भूमि संसाधन विभाग)	<ul style="list-style-type: none"> <li>रिज क्षेत्र प्रशोधन, जल निकासी लाइन प्रशोधन, मृदा एवं नमी संरक्षण, वर्षाजल संचयन, नर्सरी बनाना, बनारोपण, बागवानी, चारागाह विकास, परिसंपत्ति विहीन व्यक्तियों आदि के लिए आजीविका के माध्यम से कृषि क्षेत्र और कृषि योग्य बंजर भूमि के वर्षा आधारित भागों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>सूखा प्रूफिंग</li> <li>भूक्षरण की रोकथाम, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन, वर्षाजल संचयन और भूजल स्तर का पुनर्झरण।</li> <li>स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए बहुफसली खेती</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>वर्षा की अनिश्चितता, किसानों की खराब आर्थिक स्थिति और बारानी क्षेत्रों में उत्तरोत्तर भूमि क्षरण</li> <li>प्रवाह के विपरीत दिशा में वाटरशेड के अनुचित विकास के कारण प्रवाह की दिशा में बने जलाशयों में जल का प्रवाह कम होना</li> <li>ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, वन आदि विभागों के बीच योजना अभिसरण और समन्वय का अभाव।</li> </ul>
हर खेत को पानी (जल शक्ति मंत्रालय)	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्रोत संवर्धन, वितरण, भूजल विकास, लिफ्ट सिंचाई, जल की अधिकता से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जलप्रवाह को मोड़ना, मरम्मत, जीर्णोद्धार, पारस्परिक जल निकायों का नवीनीकरण</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>फसल की पैदावार में वृद्धि</li> <li>किसानों की आय में बढ़ोत्तरी</li> <li>भूजल की पुनःपूर्ति</li> <li>जल की उपलब्धता में सुधार</li> <li>2019 तक वित्तीय अवरोधों के कारण रुके हुए उन्नत चरण की सिंचाई परियोजनाओं का त्वरित कार्यान्वयन</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>योजना और कार्यान्वयन में अंतराल</li> <li>सिंचाई कार्यक्रम के लाभों के बारे में किसानों की जागरूकता का स्तर।</li> <li>चालू सिंचाई कार्यों को पूरा करने में देरी के कारण समय और लागत में वृद्धि।</li> <li>वन/पर्यावरण मंजूरी का न मिलना</li> <li>स्थानीय लोगों के बीच आम सहमति की कमी के कारण विरोध और टकराव।</li> </ul>
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (जल शक्ति मंत्रालय)	<ul style="list-style-type: none"> <li>राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित जारी प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना</li> </ul>		

स्रोत: लेखक द्वारा संकलित



उन्नत अवसरंचनाओं के नेटवर्क स्थापित करके जल उपयोग दक्षता के उच्च-स्तर को हासिल करने की दरकार है।

केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और कृषि विश्वविद्यालयों की व्यापक और निरंतर पहलों और प्रयासों ने निसंदेह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, आगत उपयोग दक्षता, और तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से कृषि के जलवायु के प्रहार झेलने में सक्षम ढांचा तैयार करने में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। सरकार की अपनी प्रमुख सिंचाई योजना – पीएमकेएसवाई, लोक निर्माण कार्यक्रम और जल शक्ति मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सार्वजनिक जल संरक्षण कार्यों के माध्यम से की गई पहलें हालांकि प्रशंसनीय हैं पर साथ ही, यह वांछनीय है कि इतने वर्षों में सृजित की गई सिंचाई क्षमता का पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए और सृजित क्षमता और वास्तविक उपयोग के बीच अंतर को कम किया जाना चाहिए।

जल की कम उपयोग दक्षता के मुख्य कारणों में कृषि जलवायु परिस्थितियों, सिंचाई गतिविधियों में नवाचार और क्षेत्र में जल की उपलब्धता को ध्यान में रखे बिना फसलों की खेती करना शामिल है। सरकार की खरीद नीति, बाज़ार पहुंच आदि फसलचक्र के पैटर्न में बदलाव को प्रभावित करते हैं और निशुल्क या सब्सिडी

वाली बिजली, पारंपरिक कृषि पद्धतियां और बाढ़ सिंचाई पर निर्भरता आदि कृषि में जल के असंगत उपयोग को बढ़ावा देते हैं। यह नई और नवीन सिंचाई और फर्टिगेशन तकनीकों के उपयोग के माध्यम से जलवायु-स्मार्ट कृषि को लोकप्रिय बनाने के लिए एकीकृत जल प्रबंधन प्रणालियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देता है।

कार्यान्वयन के मुद्दों और जमीनी-स्तर पर इन योजनाओं और कार्यक्रमों के निष्पादन की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह उम्मीद की जाती है कि राज्यों में कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियां सुशासन लाएंगी और इस तरह की विकास पहलों के लाभों को अधिकतम करने के लिए स्मार्ट प्रौद्योगिकियों द्वारा समर्थित सर्वोत्तम प्रणालियों का पालन करेंगी। सिंचाई पहलों की योजना और क्रियान्वयन के चरणों में किसानों, किसानों के समूहों, स्वयंसहायता समूहों, जल उपयोगकर्ता संघों, किसान उत्पादक संगठनों की पर्याप्त और समय पर भागीदारी की भी आवश्यकता है जिससे पीएमकेएसवाई के अधिकतम अपेक्षित लाभों की प्राप्ति सुनिश्चित होगी।

(लेखक कृषि, सहकरिता एवं किसान कल्याण विभाग में आर्थिक सलाहकार हैं। ई-मेल : [tripathy123@rediffmail.com](mailto:tripathy123@rediffmail.com) लेख में प्रस्तुत विचार निजी हैं।)


# योजना का जुलाई 2021 अंक

## पूर्वोत्तर भारत पर केंद्रित है

अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, असमिया, बांग्ला, ओडिया,  
गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगू, मलयालम,  
पंजाबी और कन्नड़ भाषाओं में  
एक साप्त प्रकाशित

**आज ही अपनी प्रति सुरक्षित कराएं**

वेबसाइट-[www.publicationsdivision.nic.in](http://www.publicationsdivision.nic.in)



# खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा

—डॉ. नीलम पटेल और रणवीर नगाइच

ग्रामीण विकास में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के महत्व को नज़रंदाज नहीं किया जा सकता। इस उद्योग में विकास और रोज़गार पैदा करने की अपार संभावनाएं हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहित करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह भारत की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार को प्रत्यक्ष और परोक्ष, दोनों रूपों से प्रभावित करता है। इस उद्योग में भारत अपनी क्षमता से कम प्रदर्शन कर रहा है। इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की भी ज़रूरत है।

**ग्रा**मीण विकास में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के महत्व को नज़रंदाज नहीं किया जा सकता। इस उद्योग में विकास और रोज़गार पैदा करने की अपार संभावनाएं हैं। मौजूदा समय में विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों के सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः 8.98 प्रतिशत और 11.11 प्रतिशत है। यह पंजीकृत कामगारों के 12.38 प्रतिशत भाग वाले औपचारिक क्षेत्र के अलावा अनौपचारिक उद्यमों में भी सबसे ज्यादा रोज़गार देने वाला क्षेत्र है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के महत्व को इसलिए भी कम करके नहीं आंका जा सकता चूंकि यह कृषि और विनिर्माण क्षेत्र के बीच की कड़ी है। खेत के स्तर पर, खासतौर से बुनियादी और प्राथमिक प्रसंस्करण क्षमताओं के निर्माण से, आय में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक विकास में भी समावेशन को बढ़ाने के लिए यह एक मज़बूत तर्क है। एक अनुमान के अनुसार 70 से 80 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं खेती से जुड़ी हैं। वे खेती में कृषक, उद्यमी और

मजदूर की भूमिका निभा रही हैं। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के मुताबिक पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों में रोज़गार में महिलाओं का हिस्सा कुल नियोजन का 12.6 प्रतिशत है। अपंजीकृत उद्योगों में तो महिलाओं का हिस्सा पंजीकृत उद्यमों की तुलना में लगभग दोगुना यानी 24.7 प्रतिशत है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र महिलाओं के लिए उद्यमिता और रोज़गार के अवसर पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की क्षमता रखता है। हालांकि इस क्षेत्र में भी विभिन्न संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच और आसान बनाने की ज़रूरत है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहित करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह भारत की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार को प्रत्यक्ष और परोक्ष, दोनों रूपों से प्रभावित करता है। इस उद्योग में भारत अपनी क्षमता से कम प्रदर्शन कर रहा है। इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की भी ज़रूरत है।

उपभोक्ताओं में प्रसंस्कृत उत्पादों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। बढ़ती आय के साथ ही खपत बढ़ने के अलावा ब्रांडेड उत्पादों











# प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना : समृद्धि की ओर

-डॉ. देबब्रत सामंत

गांवों के लोगों का जीवन—स्तर बेहतर बनाने और गरीबी कम करने में ग्रामीण सड़कों की अहम भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने साल 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की शुरुआत की थी। पिछले 20 सालों में गांवों को सड़कों से जोड़ने, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने और गरीबी कम करने में यह योजना बेहद कारगर रही है। साथ ही, आजीविका के अवसर पैदा करने और ग्रामीण भारत का जीवन—स्तर बेहतर करने में भी इस योजना से मदद मिली है।

**दे**श के विकास के लिए बेहतर सड़क नेटवर्क की आवश्यकता है, यह बात काफी पहले से चर्चा का विषय रही है। सड़कों को पांच श्रेणियों में बांटा गया है— राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच), राज्य राजमार्ग (एसएच), प्रमुख ज़िला सड़क (एमडीआर), अन्य ज़िला सड़क (ओडीआर) और ग्रामीण सड़कें (वीआर)। इनमें से अन्य ज़िला सड़क और ग्रामीण सड़कों को ग्रामीण सड़क की श्रेणी में रखा गया है। तीसरी सड़क विकास योजना (1981–2001) में ग्रामीण सड़कों के लिए कुछ शर्तें तय की गईं। साथ ही, ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए कई तरह के सुझाव पेश किए गए।

ग्रामीण सड़कें न सिर्फ ग्रामीण इलाकों में लोगों का जीवन—स्तर बेहतर करने के लिहाज से अहम हैं, बल्कि इससे लोगों का अलगाव कम करने और आय बढ़ाने में भी मदद मिलती है। सड़कें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की रीढ़ मानी जाती हैं। ग्रामीण सड़कों का न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी आर्थिक

और आजीविका संबंधी गतिविधियों पर व्यापक असर पड़ता है, बल्कि लोगों की आय पर भी सकारात्मक प्रभाव होता है। सड़कों में सार्वजनिक निवेश से गरीबी में भी कमी आती है।

यह पाया गया है कि भारत में ग्रामीण सड़कों में 100 अरब रुपये के निवेश से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में 0.87 प्रतिशत की कमी आई। सड़कों में प्रति 10 लाख रुपये के निवेश पर गांवों के 165 लोगों को गरीबी—रेखा से बाहर निकाला जा सकेगा। यह भी माना जाता है कि ग्रामीण सड़कों में निवेश गरीबी कम करने में कृषि क्षेत्र के मुकाबले दोगुना कारगर है। इसके अलावा, ग्रामीण सड़कें गैर-कृषि क्षेत्र में भी रोज़गार के अवसर बढ़ाती हैं। इस तरह, गैर-कृषि रोज़गार में बढ़ोत्तरी के साथ—साथ गांवों में रहने वाले गरीब लोगों की आय में भी बढ़ोत्तरी होती है और गांवों में गरीबी कम होती है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने में भी ग्रामीण सड़कों की भूमिका बेहद अहम है। इससे लोगों





और क्रियान्वयन को लेकर शिकायत कर सकता है। नागरिकों के जरिए प्रभावकारी और समयबद्ध निगरानी के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएम) बनाई गई है। केंद्र सरकार के स्तर पर, राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) शिकायतों की समीक्षा कर ज़रूरी कार्रवाई के लिए इसे संबंधित राज्य को आगे भेजती है। नागरिकों की निगरानी का दायरा बढ़ाने के लिए 2015 में 'मेरी सड़क' एप भी लांच किया गया। लोग इस एप पर जाकर फोटो के साथ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लोग शिकायत करने के लिए अपनी सुविधा के हिसाब से भाषा का चुनाव कर सकते हैं।

### ई-पहल

#### ऑनलाइन मॉनीटरिंग

इस योजना के तहत बेहतर प्रबंधन और निगरानी के लिए ऑनलाइन निगरानी और प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की गई है और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वेब-आधारित पैकेज के तहत जमीन पर काम करने वाले कर्मचारियों और राज्य इकाइयों द्वारा जरूरी आंकड़ा उपलब्ध कराया जाता है। विस्तार से आंकड़े [www.omms.nic.in](http://www.omms.nic.in) और [www.pmgsy.nic.in](http://www.pmgsy.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

### ई-मार्ग की शुरुआत

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों में 'पीएमजीएसवाई

के तहत सड़कों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी' (ई-मार्ग) योजना की शुरुआत की है। इसे 2019 में शुरू किया गया। ई-मार्ग, सूचना प्रौद्योगिकी का एक बेहतर उपयोग है जो हर विभाग के डेटा को जोड़ते हुए ग्रामीण सड़कों की निगरानी करने के साथ-साथ ज़रूरी कार्रवाई के बारे में भी सुझाव देता है।

### हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल

हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कुछ निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत सड़कों के निर्माण के लिए नई सामग्री/अपशिष्ट सामग्री/स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्री के इस्तेमाल के बारे में खास निर्देश जारी किए गए हैं। हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास एजेंसी ने 2013 में प्रौद्योगिकी संबंधी पहल से जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए थे। दिसंबर 2020 तक इस योजना के तहत कुल 84,875 सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई थी और इनमें से 46,064 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था।

### वित्तीय प्रोत्साहन

साल 2016–17 से इस मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसका लाभ पाने वाले राज्य इस फंड का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित होने वाली सड़कों के रखरखाव में करते हैं।


### सारणी 1: पीएमजीएसवाई के तहत प्रगति और उपलब्धियाँ

साल	खर्च (करोड़ रुपये में)	प्रस्ताव मंजूर हुए	गांवों को जोड़ा गया	लंबाई (जुड़ाव) (किलोमीटर)
2004–05	3091.38	1833.2	17602	66975
2005–06	4100.39	9203.9	25804	89866
2006–07	7304.27	19384.67	36605	120576
2007–08	10619.26	24374.5	47941	161807
2008–09	15161.98	37762.95	62416	214212
2009–10	18832.92	6590	70293	274329
2010–11	14910.98	6768.33	77877	319438
2011–12	10949.41	9188.46	84414	350501
2012–13	8386.75	27013	91278	374663
2013–14	13095.29	31746.74	97838	399979
2014–15	17144.06	2355.77	108668	436316
2015–16	16542.9	3307.36	116310	472695
2016–17	16093	30532.94	124709	504727
2017–18	17307.4	30857.02	137877	550601
2018–19	23363	28562.29	171469	598857
2019–20	14292.59	15816.44	175560	626101

स्रोत: सालाना रिपोर्ट (2004 – 2020), राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास एजेंसी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार



## चार्ट1: पीएमजीएसवाई के तहत सालाना खर्च



डेटा स्रोत: सालाना रिपोर्ट 2020, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

### प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना का विकास

#### प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना-II

केंद्र सरकार ने मई 2013 में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना-II की शुरुआत की। इसका मकसद मौजूदा ग्रामीण नेटवर्क को बेहतर बनाकर लोगों, सामान और सेवाओं की आवाजाही को सुगम बनाना है। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण भारत की आर्थिक संभावना को बेहतर बनाना और आवाजाही की सुगमता के जरिए ग्रामीण आर्थिक केंद्र स्थापित करना है। प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना-II में कई मौजूदा ग्रामीण सङ्कों को बेहतर बनाने पर जोर है। इन सङ्कों का चुनाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास को बढ़ावा देने और वस्तुओं व सेवाओं के बाज़ार के लिए बेहतर संपर्क में उनकी भूमिका के आधार पर किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना-II में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय खर्च साझा करने का मॉडल तैयार किया गया था। इसके तहत 50,000 किलोमीटर से भी ज्यादा सङ्कों को बेहतर बनाने का प्रस्ताव था। मैदानी राज्यों में ऐसी परियोजना का 75 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार और 25 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा था। विशेष इलाकों के लिए यह अनुपात 90:10 था। बाद में मैदानी राज्यों के लिए खर्च का अनुपात बदलकर 60:40 हो गया, जबकि विशेष श्रेणी वाले और पहाड़ी राज्यों के लिए यह 90:10 ही रहा।

#### प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना-III

भारत सरकार ने दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना-III की शुरुआत की थी। इसका मकसद ग्रामीण सङ्कों के जरिए गांवों और बस्तियों को ग्रामीण बाज़ारों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों आदि से जोड़ना था। प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना-III के नियोजन और क्रियान्वयन में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। जियो-पीएमजीएसवाई एप के जरिए ग्रामीण-स्तर

पर मौजूद सुविधाओं की जियो-टैविंग और जियो रेफ्रेन्सिंग (Geo referencing and geo&tagging) की जाती है। साथ ही, 'ट्रेस मैप' तैयार किए जाते हैं, जिनकी मदद से गांवों और आसपास में मौजूद अहम सुविधाओं और उनसे जुड़ने के लिए कम दूरी वाले रास्तों और सङ्कों की पहचान कर उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना-III के तहत बेहतर बनाया जाता है।

#### प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना की उपलब्धियां

प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना-I के तहत दिसंबर 2020 तक नए जुड़ाव और सुधार के लिए कुल 6,44,915 किलोमीटर लंबी सङ्क से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इनमें से 5,98,232 किलोमीटर सङ्क का काम पूरा हो चुका है। इस सिलसिले में हर साल के आधार पर जानकारी सारणी-1 में दी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना-II के तहत सुधार के लिए कुल 50,000 किलोमीटर सङ्क का लक्ष्य तय किया गया। इनमें से 49,714 किलोमीटर सङ्क के लिए मंजूरी दी गई और दिसंबर 2020 तक 38,883 किलोमीटर सङ्क का काम पूरा हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना-III के तहत, 2025 तक कुल 1,25,000 किलोमीटर सङ्क के लिए लक्ष्य तय किया गया है। हालांकि 12 राज्यों को पहले ही 32,928 किलोमीटर सङ्क के लिए मंजूरी दे दी गई है और दिसंबर 2020 तक 1,886 किलोमीटर सङ्क का काम पूरा हुआ है।

#### वित्तपोषण और खर्च

प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। यह पूरी तरह से केंद्र सरकार की प्रायोजित योजना थी। हालांकि, ग्रामीण सङ्क राज्य का विषय है, लेकिन माना गया कि बड़े पैमाने पर इस योजना को चलाने के लिए राज्य सरकार के वित्तीय संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। आमतौर पर, इस तरह का खर्च





# ग्रामीण भारत की मज़बूत होती बुनियाद

—देविका चावला

केंद्र सरकार 'नए भारत' के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और ग्रामीण भारत के दीर्घकालिक विकास हेतु ठोस नतीजे हासिल करने के लिए काम कर रही है। लंबे अर्से तक हमारे देश के गांव सिर्फ 'दर्शक' की भूमिका में रहे और आर्थिक बदलाव का लाभ पाने में शहरों के मुकाबले पीछे छूटते रहे। अतः अब समय आ गया है कि विकास की प्रक्रिया में ग्रामीण भारत भी न केवल सक्रिय भागीदार की भूमिका में नज़र आएं बल्कि आने वाले वर्षों में भारत के उत्थान के दारोमदार बनें।

**ज्या** दातर लोग इस बात को समझते हैं कि देश के गांव हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हालांकि, इस बारे में जागरूकता कम है कि गांवों के विकास से ही, आने वाले वर्षों में विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी इस अर्थव्यवस्था को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। इस लेख में ऐसे ही तमाम पहलुओं पर बात की गई है। लेख में पिछले सात वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सतत और समावेशी ग्रामीण विकास की दिशा में किए गए कार्यों का भी विश्लेषण किया गया है। साल 2014 में सत्ता संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। साथ ही, कृषि-आधारित क्षेत्रों को बेहतर बनाने के लिए कई स्तरों पर काम करने की रणनीति अपनाई गई है जो सभी के लिए समृद्धि, विकास आदि पर केंद्रित हो।

दरअसल, इन रणनीतियों के जरिए ग्रामीण आबादी को

प्राकृतिक गैस, पीने के पानी, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का काम लगातार जारी रखना है, ताकि समाज के सबसे अहम तबके को ज़रूरी सुविधाओं का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री के 'स्वच्छ भारत मिशन' में भी यह बात नज़र आती है, जिसे 2014 में शुरू किया गया था। यह मोदी सरकार की सबसे पहली गांवों पर केंद्रित देशव्यापी योजना थी। योजना के शुरू होने के सात साल बाद इसके उल्लेखनीय नतीजे देखने को मिले हैं।

साल 2014 में देशभर में 38 प्रतिशत घरों में शौचालय की सुविधा थी और अब यह आंकड़ा 100 प्रतिशत तक पहुंच गया है। देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े हिस्से में तकरीबन 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ है। इस तरह, तकरीबन 6,00,000 गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, जिससे देश की बड़ी आबादी को बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता का लाभ मिल सका है।





# 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों का निशुल्क टीकाकरण : प्रधानमंत्री

**प्र**धानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून, 2021 को राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस महामारी में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया। इस महामारी को पिछले सौ वर्षों में सबसे बड़ी आपदा बताते हुए, उन्होंने इसे एक ऐसी महामारी के रूप में चिह्नित किया जिसे आधुनिक दुनिया में न तो देखा गया और न ही अनुभव किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस महामारी से कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी।

श्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। टीकाकरण की रणनीति पर पुनर्विचार करने और 1 मई से पहले की व्यवस्था को वापस लाने की कई राज्यों की मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि राज्यों के जिम्मे जो 25 प्रतिशत टीकाकरण था, उसे अब भारत सरकार द्वारा करने का निर्णय लिया गया है।


प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि आगामी 21 जून से भारत सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों को मुफ्त टीका प्रदान करेगी। भारत सरकार टीके के उत्पादकों के कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत खरीदेगी और राज्यों को मुफ्त मुहैया कराएगी। किसी भी राज्य सरकार को टीकों के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक करोड़ों लोगों को मुफ्त टीका मिल चुका है, अब इसमें 18 वर्ष वाले आयु वर्ग को जोड़ा जाएगा।

श्री मोदी ने बताया कि निजी अस्पतालों द्वारा 25 प्रतिशत टीकों की सीधी खरीद की व्यवस्था जारी रहेगी। राज्य सरकारें इस बात की निगरानी करेंगी कि निजी अस्पतालों द्वारा टीकों की निर्धारित कीमत पर केवल 150 रुपये का सर्विस चार्ज लिया जाए।

एक अच्यु बड़ी घोषणा के तहत, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दीपावली तक बढ़ाने के निर्णय से अवगत कराया। यानी नवंबर तक, 80 करोड़ लोगों को हर महीने निर्धारित मात्रा में मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महामारी के दौरान सरकार गरीबों के साथ उनकी सभी ज़रूरतों के लिए उनके दोस्त के रूप में खड़ी है।

अप्रैल और मई के महीनों के दौरान इस महामारी की दूसरी लहर के दौरान मेडिकल ॲक्सीजन की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के सभी तंत्रों को तैनात करके इस चुनौती से युद्धस्तर पर निपटा गया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में मेडिकल ॲक्सीजन की इतनी मांग पहले कभी नहीं महसूस की गई थी।

श्री मोदी ने कहा कि हमने मिशन मोड में काम करते हुए 5–6 वर्षों में टीकाकरण कवरेज को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने न सिर्फ टीकाकरण की गति बढ़ाई, बल्कि उसका दायरा भी बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार भारत ने सभी आशंकाओं को दूर कर दिया और साफ इरादों, स्पष्ट नीति और निरंतर कड़ी मेहनत के जरिए भारत में कोविड के



- भारत सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों को निशुल्क टीका उपलब्ध कराएगी;
- राज्यों के जिम्मे जो 25 प्रतिशत टीकाकरण था, उसे अब भारत सरकार द्वारा किया जाएगा;
- भारत सरकार टीके के उत्पादकों के कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत खरीदेगी और राज्यों को मुफ्त मुहैया कराएगी
- आने वाले दिनों में टीकों की आपूर्ति बढ़ेगी।

लिए न केवल एक, बल्कि भारत में निर्मित दो टीके लांच किए गए। हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी क्षमता साबित की।

प्रधानमंत्री ने याद किया कि वैकीन टास्कफोर्स का गठन उस समय किया गया था जब कोविड-19 के केवल कुछ हजार मामले ही थे और टीका बनाने वाली कंपनियों को सरकार द्वारा परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्तपोषण में हर संभव तरीके से सहयोग दिया गया। प्रधानमंत्री ने बताया कि अथक प्रयास और कड़ी मेहनत के कारण आने वाले दिनों में टीकों की आपूर्ति बढ़ने वाली है। उन्होंने बताया कि आज सात कंपनियां अलग-अलग तरह के टीके तैयार कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि तीन और टीकों का परीक्षण अग्रिम चरण में है। प्रधानमंत्री ने बच्चों के लिए दो टीकों और एक 'नाक के जरिए दिए जाने वाले टीके' के परीक्षण के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण के खिलाफ अफवाह फैलाने वालों के बारे में आगाह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे तत्व लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं और इनके खिलाफ सतर्क रहने की ज़रूरत है। □

# सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

**प्र**धानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि दुनिया भर में महामारी से लड़ने में योग ने लोगों को आत्मविश्वास और शक्ति दी उन्होंने कहा कि महामारी के बावजूद, इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विषयवस्तु—“आरोग्य के लिए योग” ने लोगों का मनोबल बढ़ाया है। उन्होंने हर देश, समाज और लोगों के स्वास्थ्य की कामना की और आशा व्यक्त की कि हम एक—दूसरे के साथ मिलकर सबको शक्तिशाली बनाएंगे। वे सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बोल रहे थे।

प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान योग की भूमिका पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि योग ने साबित कर दिया है कि संकट की घड़ी में योग से लोगों को शक्ति और शांति मिलती है। उन्होंने कहा कि देशों के लिए यह आसान था कि महामारी के दौरान योग दिवस को भूल जाएं, क्योंकि ये उनकी संस्कृति से नहीं जुड़ा है। लेकिन ऐसा होने के बजाय दुनिया भर में योग के प्रति उत्साह बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने याद करते हुए कहा कि किस तरह अग्रिम पक्षित के कोरोना योद्धाओं ने योग को अपना कवच बनाया और योग के जरिए खुद को मजबूत किया। लोगों, डॉक्टरों और नर्सों ने योग के सहारे वायरस के दुष्प्रभावों का मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ आज प्राणायाम और अनुलोम-विलोम जैसी सांस की कसरतों के महत्व की पैरवी कर रहे हैं, ताकि हमारा श्वसन-तंत्र मजबूत हो सके।

महान तमिल संत थिरुवल्लुवर का उद्धरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योग, रोग की जड़ तक पहुंचता है और उपचार में महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि दुनिया भर में योग की उपचार क्षमताओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योग के जरिए शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति पर अध्ययन तथा ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान बच्चों द्वारा योग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे कोरोना से लड़ने के लिए बच्चे तैयार हो जाएंगे।



प्रधानमंत्री ने योग की आमूल प्रकृति पर जोर देते हुए कहा कि योग शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य की भी देखभाल करता है। योग के जरिए हम अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ते हैं और खुद को हर तरह की नकारात्मकता से बचाते हैं।

## एम—योग मोबाइल एप लांच

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर अपने संबोधन के दौरान ‘एम—योग’ एप लांच किया। इसे आधुनिक तकनीक और प्राचीन विज्ञान के मेल का एक बेहतरीन उदाहरण बताते हुए प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि एम—योग एप, योग को दुनिया भर में फैलाने में मदद करेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा यह मोबाइल एप दुनिया भर के लोगों के बीच, विशेष रूप से इस महामारी के दौरान, योग और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने में बेहद मददगार साबित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कोविड-19 से ठीक हो चुके कोविड रोगियों के स्वास्थ्य के पुनः पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

यह एप विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ साझेदारी में आयुष मंत्रालय के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। यह एप संयुक्त राष्ट्र की छह आधिकारिक भाषाओं में से फिलहाल दो भाषाओं यानी अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) का सातवां संस्करण दुनिया भर में पूरी एकजुटता के साथ सीमित कार्यक्रमों और लोगों के घरों में, जहां कोविड प्रतिबंध लागू हैं, दोनों तरह से मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की गतिविधियां इस अवसर पर एक लाख से अधिक गांवों में भी पहुंचीं।

इस अवसर पर आज एक और उल्लेखनीय बात है कि आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया और कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से एक लाख से अधिक गांवों में आईडीवाई का अनुसरण किया गया। आरोग्य फाउंडेशन आईडीवाई के लिए मई से अपने स्वयंसेवकों को समूहों में प्रशिक्षित कर रहा था और आज उन्होंने देश भर में एकल विद्यालयों के व्यापक नेटवर्क की मदद से यह उपलब्धि हासिल की है। □





**Join Us  
for emerging  
Career Opportunities  
in Politics**

## ADMISSION OPEN

**MPG** Master's Degree Program in Political Leadership & Government

**Batch 2021-23**

- 1st year on-campus learning
- 2nd year field training & internships

**"Only the educated youth of India can bring about the much needed change in Politics"**

- Rahul V. Karad, Initiator, MIT-SOG

### PROGRAM HIGHLIGHTS:

Interactive sessions with Political leaders.

Visits to Gram Panchayat, Zilla Parishad, Municipal Corporation, State Assembly.

Study Tour for Campaign & Election Management, National Study Tour to Delhi.

Optional International Study Tour to Europe.

**Apply Online**  
[mitsog.org](http://mitsog.org) | [mitwpu.edu.in](http://mitwpu.edu.in)  
Email: [sog@mitwpu.edu.in](mailto:sog@mitwpu.edu.in)

**Mo.: 98508 97039, 77200 61611** **91460 38947**

- MIT School of Government is part of MIT World Peace University recognised by the UGC under the Govt. of Maharashtra Act XXXV 2017, since 2017
- MPG PG Degree is conferred as Master of Arts (MA) in Political Leadership & Government



### CAREER PROSPECTS

RESEARCH ASSOCIATE | POLITICAL ANALYST | POLITICAL STRATEGIST

CAMPAIN MANAGER | CONSTITUENCY MANAGER

CONTEST ELECTIONS &  
BE A PART OF ACTIVE POLITICS

OFFICE BEARERS IN PROMINENT  
POLITICAL PARTIES

MIT-SOG has 450 strong alumni. Many of whom are associated with political parties and political leaders. Some have contested elections from Gram Panchayat to Parliament and some are associated with the offices of Governor, Chief Minister, and Speaker while others are active in youth wings of political parties.

Eligibility: Graduate with min. 50% aggregate

**FIRST INSTITUTE OF ITS KIND TO  
CREATE FUTURE  
POLITICAL LEADERS**



INDIAN STUDENT PARLIAMENT



# मनरेगा से गांवों का कायाकल्प

—अरविंद कुमार सिंह

समय के साथ मनरेगा एक बड़ी ताकत बन चुका है। केवल रोज़गार सृजन में ही नहीं परिसंपत्तियों के निर्माण और ग्रामीण कायाकल्प में भी। जहां ग्रामीण नेतृत्व जितना दूरदर्शी है, उसने योजना को अपने गांव के हित में उतना ही उपयोगी बनाया है। विश्व बैंक भी इसे ग्रामीण क्षेत्रों में 'क्रांति' लाने वाला कार्यक्रम मान चुका है और कई सरकारी और स्वतंत्र अध्ययनों में इसकी खूबियों पर काफी चर्चा हुई है। मनरेगा से लाभान्वित होने वालों में सबसे अधिक संख्या महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजातियों की है। खासतौर पर अविकसित और आदिवासी इलाकों में मनरेगा और प्रभावी रहा।

**दे**श की करीब 70 फीसदी आबादी और श्रमशक्ति गांवों में ही रहती है। हमारी खाद्य सुरक्षा के साथ राष्ट्रीय आय में भी ग्रामीण क्षेत्र अहम योगदान देता है। ग्रामीण भारत का आधार खेतीबाड़ी, पशुपालन, मछलीपालन, वानिकी, छोटे और मध्यम उद्यम और ग्रामोद्योग आदि हैं। विशाल राष्ट्र और भौगोलिक जटिलताओं के नाते भारत की ग्रामीण संस्कृति में अनूठी विविधता देखने को मिलती है, जो राष्ट्र की एक बड़ी ताकत भी है। लेकिन छोटे और सीमांत किसानों की बढ़ती संख्या और आजीविका के सीमित मौकों के साथ प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव के कारण ग्रामीण भारत के समक्ष कई तरह की चुनौतियां हैं।

ग्रामीण भारत के विकास के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों की कई योजनाएं चल रही हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना या मनरेगा। मौजूदा कोरोना संकट में भी ग्रामीण भारत के लिए जो योजना वरदान बनी, वह भी 'मनरेगा' ही है। शहरों से पलायन कर गांवों में लौटे लाखों मजदूरों को इसने जीवनयापन के लिए राह दिखाई और साथ ही, गांवों में टिकाऊ परिसंपत्तियां का सृजन भी

इसके माध्यम से हुआ।

समय के साथ मनरेगा एक बड़ी ताकत बन चुका है। केवल रोज़गार सृजन में ही नहीं परिसंपत्तियों के निर्माण और ग्रामीण कायाकल्प में भी। जहां ग्रामीण नेतृत्व जितना दूरदर्शी है, उसने योजना को अपने गांव के हित में उतना ही उपयोगी बनाया है। विश्व बैंक भी इसे ग्रामीण क्षेत्रों में 'क्रांति' लाने वाला कार्यक्रम मान चुका है और कई सरकारी और स्वतंत्र अध्ययनों में इसकी खूबियों पर काफी चर्चा हुई है। मनरेगा से लाभान्वित होने वालों में सबसे अधिक संख्या महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजातियों की है। खासतौर पर अविकसित और आदिवासी इलाकों में मनरेगा और प्रभावी रहा। मनरेगा के तहत सरकार ने कुल 262 कामों को मंजूरी दी हुई है जिसमें से 164 कृषि से संबंधित हैं। बाकी अधिकतर कार्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के हैं, जिसके व्यापक सामाजिक-आर्थिक असर देखने को मिले हैं। आरंभ से ही इस पर ज़ोर दिया गया है कि ज़िला-स्तर पर लागत के मामले में कम से कम 60 फीसदी काम कृषि और संबद्ध कार्यकलापों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए होगा। इसमें









# ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का विस्तार

—समीरा सौरभ

भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की पहुंच, सामर्थ्य और जवाबदेही देश के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए अपेक्षित है। महामारी के दौरान भारत में टेलीमेडिसिन की प्रभावशाली वृद्धि का अनुमान ई-संजीवनी ओपीडी (मरीज से डॉक्टर की टेली-परामर्श प्रणाली) से लगाया जा सकता है, जो अप्रैल 2020 में शुरू होने के बाद से लगभग दस लाख रोगियों को चिकित्सा परामर्श दे चुकी है। वर्तमान कोविड-19 वैश्विक महामारी एक ऐसी सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति की आवश्यकता उजागर करती है, जिसमें महामारी विज्ञान, विशेष रूप से महामारी के कारणों की समझ और उससे निपटने के लिए जनसंख्या आधारित उपयुक्त व्यवहार और शैक्षिक कार्यक्रमों की पहचान पर बल दिया गया हो।

**भा**रत पिछले दशक में व्यक्तियों और आबादी तक गुणवत्तापूर्ण, मुफ्त और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने और ग्रामीण-शहरी तथा अमीर-गरीब के बीच की खाई को कम करने में काफी सफल रहा है। हालांकि ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है चूंकि देश की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जिसे स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और पहुंच की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य सेवा हेतु बुनियादी ढांचे का निर्माण और रखरखाव नीति योजनाकारों के लिए, विशेष रूप से महामारी की पृष्ठभूमि में, बड़ी प्राथमिकता है।

भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की पहुंच, सामर्थ्य और जवाबदेही देश के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए अपेक्षित है। महामारी के दौरान भारत में टेलीमेडिसिन की प्रभावशाली वृद्धि का अनुमान ई-संजीवनी ओपीडी (मरीज से डॉक्टर की टेली-परामर्श प्रणाली) से लगाया जा सकता है, जो अप्रैल 2020 में शुरू होने के बाद से लगभग दस लाख रोगियों को चिकित्सा परामर्श दे चुकी है। किसी भी राज्य में इंटरनेट की पहुंच का टेलीमेडिसिन परामर्श के साथ गहरा रिश्ता है, इसलिए किसी

राज्य में अधिक इंटरनेट के प्रयोग से टेलीमेडिसिन के इस्तेमाल में भी बढ़ोत्तरी होगी और स्वास्थ्य देखभाल सेवा के उपयोग में भौगोलिक असमानता कम करने में मदद मिलेगी।

वर्तमान कोविड-19 वैश्विक महामारी एक ऐसी सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति की आवश्यकता उजागर करती है, जिसमें महामारी विज्ञान, विशेष रूप से महामारी के कारणों की समझ और उससे निपटने के लिए जनसंख्या आधारित उपयुक्त व्यवहार और शैक्षिक कार्यक्रमों की पहचान पर बल दिया गया हो। यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि महामारी की शुरुआत चाहे विकसित देशों में हुई परंतु, वायरस अमीर-गरीब या ग्रामीण-शहरी के रूप में अंतर नहीं करता है। यह विशेष रूप से भारत जैसे देश के लिए एक खतरा है, जहां 68–70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और जहां वैश्विक-स्तर पर महामारी का बोझ भी सबसे अधिक है।

## भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली<sup>1</sup>

2022 तक स्वास्थ्य सेवा बाज़ार में लगभग तीन गुना वृद्धि होने की उम्मीद है, परन्तु, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र अभी भी चुनौतियों का सामना कर रहा है और नीति-स्तरीय उपायों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सरकारी अस्पतालों में



1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रुरल हेल्थ स्टेटिस्टिक्स 2019–20







# मानव संसाधन विकास

—विजय प्रकाश श्रीवास्तव

मानव संसाधन विकास में पूर्वाग्रहों के लिए स्थान नहीं है। यह खुद वैज्ञानिक सोच पर आधारित है तथा इसका एक ध्येय लोगों में भी वैज्ञानिक सोच का विकास करना है। ग्रामीण जनसंख्या के लिए इस तरह की सोच बेहद ज़रूरी है। ऐसी सोच के साथ ही लोग अपने में यह विश्वास उत्पन्न कर पाते हैं कि शिक्षा प्राप्त कर, परिश्रम एवं प्रयासों से अपने लिए बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है।

**मा**नव संसाधन विकास अध्ययन का एक प्रमुख विषय है। यह एक बहुचर्चित पद भी है। मानव संसाधन विकास का उल्लेख ज्यादातर सांगठनिक परिप्रेक्ष्य में होता रहा है। यह सर्वविदित है कि संगठन लोगों से मिल कर बनता है। इसी प्रकार किसी राष्ट्र का निर्माण भी इसके लोगों से ही होता है। अतः मानव संसाधन विकास की भूमिका राष्ट्रों के लिए भी है। राष्ट्र का विकास इसके निवासियों के विकास पर निर्भर है। वास्तव में देखा जाए तो लगभग सभी राष्ट्रों, जिन्हें विकसित देशों की श्रेणी में रखा जाता है, की प्रगति का मुख्य आधार मानव संसाधन विकास ही रहा है। जिन देशों के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, उनमें से कई देशों ने अपने मानव संसाधन में निवेश कर विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं।

मानव संसाधन विकास एक अवधारणा है तथा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया भी। इसका दायरा विस्तृत है। यह एक आवश्यकता है तथा संगठन हो या राष्ट्र, दोनों के लिए भरपूर

संभावनाएं उपलब्ध कराती है। मानव संसाधन विकास की अवधारणा के अनुसार यदि किसी संगठन अथवा राष्ट्र में लोग ज़्यादा योग्य कुशल एवं अभिप्रेरित हैं तो संगठन या राष्ट्र का प्रदर्शन भी बेहतर होगा। संगठन के संदर्भ में यह प्रदर्शन लाभ एवं उत्पादकता के रूप में प्रकट होता है। यदि राष्ट्र की बात करें तो यह अन्य बातों के साथ-साथ सकल घरेलू उत्पाद एवं जीवन की गुणवत्ता में दिख सकता है। सकल घरेलू उत्पाद एक देश में निर्मित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य होता है। यदि दो राष्ट्र सभी मामलों अर्थात् जनसंख्या, क्षेत्रफल, प्राकृतिक संसाधनों आदि के मामले में पूरी तरह समान हो तो भी उस राष्ट्र की समग्र स्थिति बेहतर होगी जिसका मानव संसाधन अधिक गुणवत्तायुक्त है।

मानव संसाधन विकास व्यक्तियों पर केंद्रित होता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके जरिए समाज में लोगों की शिक्षा, उनके कौशल एवं उत्साह, उत्पादकता का उन्नयन कर बेहतर परिणाम हासिल किए जाते हैं। दरअसल मानव संसाधन विकास में शिक्षण, प्रशिक्षण









# ग्रामीण अवसंरचना विकास हेतु समावेशी मॉडल

—डॉ. श्याम सुन्दर प्रसाद

किसी राष्ट्र के विकास की कुंजी पूरी तरह से अवसंरचना के विकास के साथ-साथ ग्रामीण विकास के सही संतुलन पर निर्भर करती है। इसीलिए सभी सार्वजनिक नीति निर्माताओं के लिए अवसंरचना विकास और ग्रामीण विकास अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए ज़रूरत है एक दीर्घकालिक, दूरगामी, व्यवस्थित समावेशी मॉडल और एकीकृत पहल की जो सभी क्षेत्रों से जुड़ी ग्रामीण अवसंरचना को विभिन्न विभागों की जगह एकीकृत विभाग और व्यवस्था के अंतर्गत ला सके ताकि ग्रामीण विकास की अनुरूपता, सही स्थिति, उपलब्धता, कमी और भविष्य की आवश्यकताओं का पता चल सके।

**ग्रा**मीण विकास में ग्रामीण अवसंरचना या बुनियादी ढांचे की भूमिका को देखते हुए आज़ादी के बाद से ही सरकारें समय-समय पर विभिन्न नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से इस दिशा में कदम उठा रही हैं। सरकार बदलती है तो उनके कार्यक्रम, संकल्प और प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं और कई बार सामने आया है कि कुछ योजनाएं एवं परियोजनाएं सत्ता बदलने से अधर में चली जाती हैं जिससे विकास प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए ज़रूरत है एक दीर्घकालिक, दूरगामी, व्यवस्थित समावेशी मॉडल और एकीकृत पहल की जो सभी क्षेत्रों से जुड़ी ग्रामीण अवसंरचना को विभिन्न विभागों की जगह एकीकृत विभाग और व्यवस्था के अंतर्गत ला सकें ताकि ग्रामीण विकास की अनुरूपता, सही स्थिति, उपलब्धता, कमी और भविष्य की आवश्यकताओं का पता चल सके।

अवसंरचना किसी भी देश की रीढ़ होती है। यह राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान में भारत की 69 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इसलिए ग्रामीण आबादी को नागरिक सेवाएं और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण अवसंरचना को विकसित करने की आवश्यकता है। इससे उनके जीवन-स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अगर हम देश में ग्रामीण अवसंरचना की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, कृषि उद्योगों, गरीबी उन्मूलन और बाजारों तक बेहतर पहुंच और रोज़गार के अवसरों के दृष्टिकोण से इसका विकास महत्वपूर्ण हो जाता है।

## ग्रामीण अवसंरचना: अर्थ और अवधारणा

सामान्य तौर पर अवसंरचना को “सामाजिक जीवन स्थितियों को सक्षम बनाए रखने या बढ़ाने के लिए आवश्यक वस्तुओं और





सेवाओं को प्रदान करने वाली परस्पर संबंधित प्रणालियों के भौतिक घटकों और आसपास के वातावरण को बनाए रखने के रूप में परिभाषित किया गया है। संपूर्णता में अवसंरचना को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है— पहला, आर्थिक अवसंरचना—यह बुनियादी सुविधाओं का संयोजन है जो अर्थव्यवस्था और व्यवसाय के आर्थिक विकास में सहायक होती हैं। जिसमें देश की अर्थव्यवस्था के कार्य करने के लिए आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं शामिल होती हैं जैसे— सड़कें, रेलवे, परिवहन, संचार और बैंकिंग इत्यादि। दूसरा, सामाजिक अवसंरचना— यह बुनियादी सुविधाओं का संयोजन है जो शैक्षणिक व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था (जैसे स्कूल, अस्पताल) स्वच्छता, पेयजल इत्यादि से संबंधित होती हैं और जिससे मानव विकास संभव है। ग्रामीण अवसंरचना सार्वजनिक और निजी भौतिक संरचनाओं जैसे सड़कों, रेलवे, पुलों, सुरंगों, जलापूर्ति, सीधर, विद्युतग्रिड और दूरसंचार (इंटरनेट कनेक्टिविटी और ब्रॉडबैंड एक्सेस सहित) से बनी है। मूल रूप से, ग्रामीण अवसंरचना में लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता है जो उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकती हैं।

ग्रामीण अवसंरचना ग्रामीण विकास की कुंजी है और दोनों एक—दूसरे के पूरक हैं। ग्रामीण विकास से तात्पर्य मूल रूप से तीन प्रमुख मुद्दों/क्षेत्रों से है—

1. शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बिजली तथा पेयजल जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं को विकसित करना।

2. व्याप्त गरीबी को दूर करने हेतु रोज़गार के समुचित अवसर पैदा करना तथा

3. देश के शासन/गवर्नेंस में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उनमें जागरूकता और चेतना का संचार करना।

इन तीनों प्रमुख मुद्दों/क्षेत्रों की अच्छी व्यवस्था से ही ग्रामीण लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेज़ी लाई जा सकती है और इन्हें ग्रामीण अवसंरचना की संरचना, दर्शन और प्रवृत्तियाँ ही परिवर्तित कर सकती हैं।

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के विषय को ध्यान में रखते हुए कई विशिष्ट योजनाएं शुरू की गई हैं जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो पाई हैं। परिणामस्वरूप ग्रामीण विकास के रास्ते खुले हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मज़बूत हुई है।

### ग्रामीण अवसंरचना के क्षेत्र और महत्व

ग्रामीण भारत की ग्रामीण अवसंरचना और शहरी सेवाओं के उन्नयन और विकास की आवश्यकता और मौजूदा ग्रामीण आबादी की मांग को पूरा किए बिना देश को समग्र विकास और आर्थिक विकास तथा समृद्धि के पथ पर लाना मुश्किल है। गांवों, पंचायतों, प्रखंडों और ज़िलावार क्षेत्रीय—स्तर पर बेहतर योजना बनाकर तथा सुविधाओं और सेवा मानकों के दीर्घकालिक संचालन और रखरखाव पर ध्यान देकर इसे पूरा किया जा सकता है।

ग्रामीण अवसंरचना में सुधार के लिए हस्तक्षेप के प्रमुख क्षेत्र

हैं: कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, रोज़गार, आवास, सड़क संपर्क, परिवहन, ऊर्जा और संचार आदि। इसके अलावा, सीधर, जल निकासी और जल आपूर्ति, बिजली वितरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अग्निशमन और थाना तथा सामाजिक आधारभूत संरचना जैसे पार्क, खेल के मैदान और विरासत परिसरों का संरक्षण आदि भी ज़रूरी हैं। ग्रामीण आबादी को विकास के रोडमैप पर लाने के लिए ग्रामीण सड़क संपर्क सफलता की कुंजी है। यूं तो सभी क्षेत्रों में ग्रामीण अवसंरचना में सुधार का महत्व है लेकिन सड़क संपर्क अन्य बुनियादी सुधारों का मार्ग सुगम्य बनाती है। कुछ महत्वपूर्ण ग्रामीण अवसंरचना के क्षेत्र और उनके महत्व का विवरण संक्षेप में यहां दिया जा रहा है—

**कृषि अवसंरचना :** हमारे देश में कृषि अवसंरचना को सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त है क्योंकि भारत मुख्य रूप से कृषि—आधारित देश है और देश के कुल सकल धरेलू उत्पाद का पांचवां हिस्सा कृषि गतिविधियों से आता है। इसके अंतर्गत कृषि सलाह केंद्र, बीज केंद्र, कृषि रोज़गार, अन्य गोदाम, बाज़ार, सिंचाई आदि जैसी अवसंरचना विकसित हो सकती हैं।

**ग्रामीण सड़के :** यह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को गतिशीलता और संपर्क प्रदान करती हैं। यह किसानों को पानी, बीज और अन्य कच्चा माल उपलब्ध कराकर कृषि गतिविधियों को बहुत आवश्यक बढ़ावा देती है। कनेक्टिविटी में सुधार कर, ग्रामीण सड़कों गैर—कृषि क्षेत्र में ग्रामीण लोगों के लिए रोज़गार के अवसरों को भी बढ़ाती हैं। ग्रामीण सड़कें यह भी सुनिश्चित करती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सार्वजनिक सेवाएं हों और राज्य द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी लाभ दूरदराज के क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचें। वे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी प्रदान करती हैं।

**ग्रामीण विद्युतीकरण :** यह मूल रूप से कृषि और सिंचाई पंपसेट, लघु और मध्यम उद्योग, खादी और ग्रामोद्योग, शीत भंडारण शृंखला, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सहित अन्य गतिविधियों की आवश्यकताओं को अच्छी तरह से पूरा करती है।

**ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणाली :** ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना समग्र स्वास्थ्य और स्वच्छता का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी ग्रामीण परिवारों को स्थायी रूप से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार के अनेक प्रयासों के परिणामस्वरूप स्रोत और उपलब्धता दोनों से पीने के पानी की आपूर्ति में काफी सुधार हुआ है। यह प्रणालियों और स्रोतों की

### राष्ट्रीय—स्तर पर पूरे किए गए कार्यों की रिपोर्ट 2020

ग्रामीण विकास मंत्रालय का कुल लक्ष्य	पूर्ण हुए कार्य	पूर्ण कार्यों का प्रतिशत
20863993	14287124	68.48

(स्रोत: [https://rhreporting.nic.in/netiay/homereports/Home\\_CumulativeDataReport.aspx?type=4](https://rhreporting.nic.in/netiay/homereports/Home_CumulativeDataReport.aspx?type=4))



स्थिरता का नेतृत्व कर सकती हैं और पानी की गुणवत्ता की समस्या से निपट सकती हैं जिससे लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है।

**ग्रामीण आवास :** ग्रामीण आवास ग्रामीण विकास का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए आवास मूलभूत आवश्यकता है।

**ग्रामीण स्वास्थ्य :** ग्रामीण जनता के लिए चिकित्सा सेवाओं को सरकार ने उपकेंद्र (एससी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) खोल कर उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। इसमें लोगों के जीवन-स्तर में सुधार करने की क्षमता है।

उपरोक्त सभी कारकों/अवयवों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना के विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी); प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई); जल जीवन मिशन (जीजेएम); दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना—सौभाग्य, उज्ज्वला योजना और हर घर नल में जल योजना इत्यादि। इन ग्रामीण योजनाओं ने ग्रामीण भारत में लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास किया है और इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं।

अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर अवसंरचना उपलब्ध हो तो निवेश के स्तर को भी बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर और विभिन्न अध्ययनों के अनुसार, ग्रामीण बिजली, सिंचाई, पानी,

स्वच्छता और सड़क के अवसंरचना के विकास से उत्पादकता, बचत, आय और पर्यटन में वृद्धि हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण लोगों को बेहतर रोज़गार और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं।

### ग्रामीण अवसंरचना: मुख्य मुद्दे और चुनौतियाँ

ग्रामीण अवसंरचना विकास सरकार की प्राथमिकता रही है और बेहतर अवसंरचना के निर्माण की दिशा में कई पहल की गई हैं। फिर भी ग्रामीण अवसंरचना के विकास की काफी गुंजाइश है। अर्थात् वर्तमान में ग्रामीण अवसंरचना अपर्याप्त है।

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध अवसंरचना में अंतर के अलावा, ग्रामीण अवसंरचना में सुधार और रखरखाव के लिए उपलब्ध धन की एक बड़ी कमी है। पारंपरिक संस्थागत ढांचे में कमियों के कारण सरकारी बजटीय सहायता की अपर्याप्तता को देखते हुए इन क्षेत्रों के निवेश में भारी गिरावट आई है। चल रही परियोजनाओं की ज्यादा संख्या और परियोजना विकास तथा प्रबंधन कौशल की कमी के कारण संसाधनों का सही से उपयोग नहीं हुआ है।

ऐसे कई अन्य कारक/आयाम हैं जिन्होंने ग्रामीण अवसंरचना विकास को चुनौती दी है:

- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, कृषि आधारित उद्योगों और आवास के लिए भूमि के अधिग्रहण/आपूर्ति की अनुपलब्धता,
- ग्रामीण आबादी के लिए आय के औपचारिक व रिस्थर स्रोत का अभाव के कारण अपर्याप्त वित्तपोषण,
- सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी अड़चनें

### चार स्तरीय ग्रामीण अवसंरचना विकास व्यवस्था





- तथा निजी भूमि पर स्पष्ट स्वामित्व का अभाव,
- ग्रामीण सड़क नेटवर्क तथा दूरदराज के क्षेत्रों से संपर्क की खराब स्थिति,
- सीमित जवाबदेही और संस्थागत क्षमता की कमी,
- ग्रामीण अवसंरचना में सुधार को कम प्राथमिकता और धन की कमी और
- सीमित भुगतान क्षमता के कारण कम परियोजना व्यवहार्यता आदि।

एक सर्वे के अनुसार, 100 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में से लगभग 40 प्रतिशत ही कृषि उत्पादन जैसे कार्यों से जुड़े हैं, शेष मज़दूरी, वेतनभोगी रोज़गार, गैर-कृषि व्यवसाय और अन्य स्रोतों में लगे हैं। शिक्षा और कौशल की कमी के कारण अधिकांश ग्रामीण लोग खेती के अलावा कुछ भी करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। ग्रामीण महिलाओं पर अवैतनिक काम का बोझ होता है जो औपचारिक अर्थव्यवस्था में उनके योगदान में बाधा डालता है। उदारीकरण के बाद के वर्षों से महिला श्रमशक्ति भागीदारी में गिरावट आई है। इनकी आय को बढ़ाने के लिए महिला अनुकूल रोज़गारपरक व्यवस्था की घोर कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से कम हैं। साथ ही कक्षाओं की संख्या, सुरक्षित पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता, शौचालय की सुविधा, स्वच्छता, शिक्षण कर्मचारी आदि के मामले में भी कमियां व्याप्त हैं। भारत के कई ग्रामीण और अर्ध-शहरी हिस्से बैंकिंग और बीमा जैसी आवश्यक सेवाओं से वंचित हैं।

इन बिंदुओं से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार के आधारभूत ढांचे के विकास की अपार संभावनाएं हैं। वास्तव में, ग्रामीण अवसंरचना के संभावित क्षेत्रों को जितनी जल्दी हो सके, चिन्हित करने की आवश्यकता है ताकि देश में पुनर्वितरण विकास प्राप्त किया जा सके और गरीबी को कम किया जा सके।

### ग्रामीण अवसंरचना विकास मॉडल : एक एकीकृत समावेशी दृष्टिकोण

बेहतर ग्रामीण अवसंरचना के माध्यम से ग्रामीणों के लिए सुविधाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने नागरिकों के जीवन को बदलने और राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में एक लंबा सफर तय किया है। फिर भी 75 साल के उपरांत, भारत की कुल आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वाले दस में से सात भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण में सुधार एक कठिन चुनौती बनी हुई है। इसलिए चाहे वह अवसंरचना हो, नौकरी हो या कौशल, ग्रामीण भारत को नीति और दृष्टिकोण में आमूलचूल बदलाव की ज़रूरत है। दशकों से, ग्रामीण पंचायत, ग्रामीण ब्लॉक और ज़िले को विकास की इकाइयों के रूप में केंद्रित करते हुए, कई कार्यक्रम और रणनीतियां शुरू की गई हैं। कुछ का प्रभाव पड़ा है, लेकिन समग्र प्रगति के अध्ययन से

पता चलता है कि आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करके और अवसंरचना को विकसित करके स्थायी और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने का सपना अभी भी पूरा किया जाना है।

अब समय है ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं में सुधार हेतु टिकाऊ सार्वजनिक संपत्ति और गुणवत्ता-उन्मुख सेवाओं के निर्माण पर बल देने का। अतः ग्रामीण सतत विकास के लिए पीपीपी मॉडल के तहत निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनानी होंगी। अवसंरचना में निवेश बढ़ेगा तो निश्चित ही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे जिससे रोज़गार सृजित होंगे, नागरिकों का जीवन सुगम होगा। इसी लोक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल की कड़ी में ग्रामीण पर्यटन स्थली का निर्माण किया जा सकता है। ग्रामीण कला-आधारित पर्यटन विकास समुदायों, संस्कृतियों और परंपराओं के संरक्षण और प्रवर्धन के साथ-साथ रोज़गार का सशक्त माध्यम बन सकता है। इस प्रक्रिया में 'विरासत' आजीविका और सशक्तीकरण का साधन बन जाएंगी। वास्तव में, ग्रामीण पर्यटन उद्योग में शहरी और ग्रामीण भारत के बीच बढ़ते अंतर को कम करने की क्षमता भी है। ग्रामीण पर्यटन की प्रगति से ग्रामीणों की कृषि आय पर निर्भरता कम हो सकती है और उन्हें पहचान, अवसंरचना और विकास क्षमता भी प्राप्त होंगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कृषि और घरेलू काम दोनों के अलावा कमाई के साधन में भारतीय महिलाओं की भूमिका को मान्यता देनी होगी।

उपरोक्त संदर्भ में यह तभी संभव होगा, जब केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता स्मार्ट या आदर्श गांव, स्मार्ट/आदर्श पंचायत, स्मार्ट/आदर्श प्रखंड और स्मार्ट/आदर्श ज़िला निर्माण होगा। इनसे न केवल बेहतर नागरिक सुविधाओं या बेहतर अवसंरचना के साथ शहरों का निर्माण होगा, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के जीवन को बदलने के उद्देश्य से समावेशी और सहयोगी वातावरण सृजित होगा।

**चार-स्तरीय ग्रामीण अवसंरचना विकास व्यवस्था:** ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना विकास के लिए चार स्तरीय व्यवस्था गांव, पंचायत, प्रखंड और ज़िला को ध्यान में रखकर कुछ स्थायी परिस्थितियों या बुनियादी सुविधाओं के विकसित करने की ज़रूरत है।

इन उपरोक्त बुनियादी सुविधाओं के एकीकृत विकास पर ज़ोर देना होगा। ग्रामीण अवसंरचना मूल रूप से गांव, पंचायत और प्रखंड हो सकते हैं। ज़िला जो शहरी क्षेत्र में आता है लेकिन इन स्तरों के विकास में पूरक के रूप में योगदान देगा।

**ग्रामीण अवसंरचना विभाजन :** ग्रामीण अवसंरचना को दो भागों में विभाजित कर देखना पड़ेगा और दोनों को साथ-साथ एकीकृत रूप से विकास करना होगा।

1. ग्रामीण अवसंरचना— व्यक्तिगत

2. ग्रामीण अवसंरचना— सामुदायिक



**अधिकांशः** योजनाओं या कार्यक्रमों में ग्रामीण अवसंरचना—व्यक्तिगत जैसे— शौचालय, आवास इत्यादि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लेकिन ग्रामीण अवसंरचना— सामुदायिक जैसे— स्कूल, अस्पताल, थाना, अग्निशमन केंद्र, सड़क, वॉटर टंकी, कृषि केंद्र, परिवहन आदि के लिए सर्वांगीण रूप से एक विभाग या योजना के तहत कार्य नहीं हुआ है। यह कार्य अलग—अलग विभागों के द्वारा सम्पन्न हो रहे हैं। अगर ग्रामीण विकास के लिए एक विभाग को प्रोजेक्ट बनाने, क्रियान्वित करने, देखभाल करने आदि का जिम्मा मिले तो शायद ग्रामीण अवसंरचना की रूपरेखा कुछ और हो।

**त्रि-स्तरीय ग्रामीण अवसंरचना विकास रणनीति:** ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए त्रि-स्तरीय रणनीति स्थायी अवसंरचना निर्माण, रोज़गार सृजन तथा सुविधा—सम्पन्न स्मार्ट स्वरूप में विकास पर कार्य करना होगा।

**पहले स्तर पर :** स्थायी अवसंरचना निर्माण जैसे— भवन, संस्थान, केंद्र, अस्पताल, विद्यालय, आवास, उद्योग और सड़क आदि स्थायी एवं प्राथमिक ढांचा हो जिस पर अन्य पूरक सेवाएं निर्भर करती हो। यह समस्या का स्थायी समाधान दे सकता है जबकि सब्सिडी, अनुदान, खाद्य आपूर्ति या अन्य तरह के लाभ या सहायता क्षणिक स्वरूप के होते हैं।

**दूसरे स्तर पर :** रोज़गार सृजन जैसे— कुटीर और मध्यम उद्योग, रोज़गारपरक योजना व कार्यक्रम, पशुपालन, मत्स्यपालन तथा मुर्गीपालन आदि जिससे गरीबी उन्मूलन, जीवन—स्तर सुधार और प्रवास में कमी लाई जा सके।

**तीसरे स्तर पर :** स्मार्ट गांव, पंचायत, प्रखंड और ज़िला को विकसित करना जैसे— संचार एवं परिवहन तथा सभी आधुनिक तकनीकी और सुविधासंपन्न चीज़ों की उपलब्धता हो जिससे ग्रामीण शासन के नए प्रतिमानों को विकसित करके और ग्रामीण क्षेत्र को सुधार कर बुनियादी ढांचे, सेवाओं और संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

**ग्रामीण अवसंरचना विकास विभाग :** ग्रामीण विकास


मंत्रालय में एक विभाग के रूप में ‘ग्रामीण अवसंरचना विकास विभाग’ को लाने की आवश्यकता है जो विभिन्न विभागों या क्षेत्रों की कार्ययोजनाओं पर नहीं बल्कि केवल और केवल संपूर्णता के साथ ग्रामीण अवसंरचना को मजबूती प्रदान देने पर कार्य करे। ज़िला समाहरणालय जिसमें विभिन्न विभाग के प्रभाग/शाखा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा अन्य विभाग मौजूद होते हैं, ज़िला—स्तर पर इन विभागों के कार्यों के क्रियान्वयन और मॉनीटरिंग का ज़िम्मा ज़िलाधिकारी के पास होता है।

ज़िला—स्तर पर बने ‘ग्रामीण अवसंरचना विकास विभाग’ के प्रभाग में विभिन्न शाखा/अनुभाग हों, जो समस्त अवसंरचना से जुड़े कार्यों को, चाहे वह किसी विभाग या योजना या कार्यक्रम से हो, को विशेषज्ञता से क्रियान्वित करें। ज़िला—स्तर पर ग्रामीण अवसंरचना विकास विभाग की निम्न रूपरेखा प्रस्तावित है—

ग्रामीण अवसंरचना विकास विभाग/प्रभाग के कार्यों की पारदर्शिता के लिए ज़िला संसद के रूप में ‘ज़िला अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन समिति’ कार्य करेंगी। इसमें ज़िलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सचिव के अलावा ज़िले के जनप्रतिनिधि सांसद, विधायक, प्रमुख, मुखिया, राजनीतिक दल के अध्यक्ष, स्थानीय मीडिया और सम्मानित लोग सदस्य होंगे जो अपनी—अपनी मांगों को आवश्यकतानुसार रखेंगे और सवाल—जवाब करेंगे।

**ग्रामीण अवसंरचना निर्माण निधि :** ग्रामीण अवसंरचना विभाग के कार्यों को सम्पन्न करने के लिए राज्य—स्तर पर ‘ग्रामीण अवसंरचना निर्माण निधि’ बनाई जाए। इन निधि में प्रत्येक वितीय वर्ष केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि भेजे। राशि के आवंटन के लिए पारदर्शी और स्थायी फार्मूला हो जिससे केंद्र और राज्यों के बीच आरोप—प्रत्यारोप की नौबत ही नहीं आए।

**एकल खिड़की वैधानिक विशेषज्ञ एजेंसी :** ज़िला—स्तर पर निर्माण कार्य करने और देखरेख के लिए एकल खिड़की वैधानिक ‘विशेषज्ञ एजेंसी’ हो जो संबंधित विभागों के नियमानुसार





और परामर्श से कार्य करें। चूंकि इन सभी गतिविधियों में भ्रष्टाचार से इंकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए परियोजना की समाप्ति के बाद ज़िलाधिकारी, उप विकास आयुक्त या संबद्ध अधिकारी के द्वारा काम की गुणवत्ता और निष्पक्षता का शपथपत्र देना और ज़िम्मेवारी लेना सुनिश्चित किया जाए।

**सुदृढ़ वित्तीय ढांचा एवं संवर्धन-पीपीपी मॉडल :** तेजी से अवसंरचना निर्माण से निधि में कमी आ सकती है और ग्रामीण अवसंरचना के वित्तपोषण में पूँजी बाज़ार की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसलिए कुछ क्षेत्रों में निजी निवेश को भी लोक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर शामिल किया जा सकता है। ज़िला और प्रखण्ड-स्तर पर कूटीर एवं लघु उद्योग के निर्माण, पर्यटन स्थल विकसित करने, कम्पनियां या फैक्ट्री खोलने, कृषि को व्यवसाय में परिणत करने इत्यादि कोई भी पहल जिससे स्थायी परिस्थितियों का निर्माण और रोज़गार सृजित होता हो, उसमें निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि सरकार की साख बची रहे। प्राइवेट निवेशक की मंशा लाभ आधारित होती है इसलिए सरकार को वित्तीय पहलू को अपने हाथ में रखना चाहिए।

**मानव संसाधन विकास एकेडमी या केंद्र :** ज़िला के विभिन्न स्तरों/क्षेत्रों में प्रशिक्षित स्टाफ और कर्मचारियों की कमी को दूर करने तथा युवाओं एवं महिलाओं को रोज़गार मुहैया करने हेतु ज़िला-स्तर पर एक 'मानव संसाधन विकास अकादमी या केंद्र' स्थापित किया जाए। यह अकादमी थिंक टैंक के साथ बहुआयामी प्रवृत्ति की होंगी। इसमें बाज़ार की मांग के अनुरूप कार्यबल (कुशल, अर्धकुशल, अकुशल) तैयार करने एवं प्रशिक्षण के साथ-साथ लघु अवधि पाठ्यक्रम, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेस आदि शोधकर्ताओं, एकेडमिशन्यनस के साथ-साथ बाहरी प्रोफेशनल संस्थाओं और उद्यमियों के परामर्श और सहयोग से सम्पन्न होंगे। इस संस्थान की स्थापना एवं फंडिंग कौशलधारी युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रिक्त पड़े पदों पर योग्यतानुसार सम्मानित मासिक मानदेय पर रिटायरमेंट की उम्र तक के लिए भर्ती किया जाए और यदि वे सरकारी परीक्षा पास करें तो उन्हें सरकारी वेतन मिले।

**इकाईवार मास्टर प्लान :** वर्तमान में ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए चल रही व्यवस्था लक्ष्यवार नहीं दिखती है। कोई डेटाबेस या सर्वे उपलब्ध नहीं है जिससे पता चले कि क्या हुआ है और क्या करना बाकी है? इसलिए यथार्थ, वास्तविकता और दूरगामी दृष्टिकोण को अपनाते हुए ग्रामीण क्षेत्र को इकाई में विभक्त कर संपूर्णता के साथ 'मास्टर प्लान' और 'रोडमैप' बना कर

मिशन मोड में कार्य को अंजाम देना होगा। ऐसा देखा गया है कि कई ग्रामीण अवसंरचना क्षेत्र जैसे— बैंक, पोस्ट ऑफिस, बीमा और कृषि विपणन केंद्र आदि गांव स्तर पर विकसित करना ज़्यादा खर्चीला होता है। इन स्थितियों में बेहतर डिलीवरी व्यवस्था कायम करने हेतु इनोवेटिव आईडिया और डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाए। प्रत्येक गांव के लिए वैकल्पिक रूप में संबंधित सेवाओं हेतु एक प्रतिनिधि नियुक्त हो जो कार्यों को डिजिटल रूप में सम्पन्न करें।

उपरोक्त प्रस्तावित व्यवस्था के साथ-साथ सरकार की परंपरागत ढ़ंग से चल रही योजना, परियोजना, कार्यक्रम और मिशन वाली व्यवस्था भी चलती रहेंगी। इस तरह लगभग 10-15 वर्षों के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त ग्रामीण अवसंरचना निर्माण हो चुका होगा। इससे विकास की एक स्पष्ट तस्वीर दिखाई देगी और साथ ही यह भी पता चल पाएगा कि क्या हुआ है और क्या करना बाकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्रामीण अवसंरचना विकास से सारी चीजें पटरी पर जल्दी आ जाती हैं और सरकारों को जो योजना लागू करनी हो या किसी तरह की परिस्थितियों का सामना करना हो, वह बिना किसी बाधा के कर सकती है। इस व्यवस्था और प्रक्रिया को भविष्य में आत्मसात कर आगे बढ़ने से गांव और शहर के बीच की खाई मिट्टी नज़र आएगी और देश की स्वर्णिम तस्वीर सामने आएगी।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल कॉलेज में राजनीति विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई-मेल : shyamzrd@gmail.com



## आयुष कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर



हर दिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक



AYURVEDA



YOGA



NATUROPATHY



UNANI



SIDDHA



SOWA-RIGPA HOMEOPATHY

# 2022 तक उत्तर-पश्चिम भारत में सभी घरों में नल से जल

पांच उत्तर-पश्चिमी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन शीघ्रता से किया जाएगा और यहाँ के सभी ग्रामीण घरों को 2024 की बजाय 2022 तक नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। हर घर में पेयजल की आपूर्ति से इन क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले 5 करोड़ से ज्यादा लोगों, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों के जीवन में सुधार होगा।

**पा**च उत्तर-पश्चिमी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन शीघ्रता से किया जाएगा और यहाँ के सभी ग्रामीण घरों को 2024 की बजाय 2022 तक नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा इस लक्ष्य को 2022 तक हासिल करने के लिए 2021–22 में 8,216.25 करोड़ रुपये के केंद्रीय आवंटन को मंजूरी दी गई है। यह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 2020–21 में दिए आवंटन से 4 गुना ज्यादा है। हर घर में पेयजल की आपूर्ति से इन क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले 5 करोड़ से ज्यादा लोगों, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों के जीवन में सुधार होगा। आवंटन में इस भारी वृद्धि और कार्यान्वयन की गति से, ये 5 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश 2024 के राष्ट्रीय लक्ष्य से दो साल पहले ही, 2022 तक 'हर घर जल' का दर्जा हासिल कर लेंगे।

15 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों में पाइप से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) की घोषणा की। सभी घरों में 2024 तक नल से पानी की आपूर्ति के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के लिए, पिछले 21 महीनों में, कोविड-19 महामारी के चलते बार-बार आ रही बाधाओं और लॉकडाउन के बावजूद, 4.25 करोड़ ग्रामीण घरों को नल से पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया है।

जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, देश में केवल 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में नल से पानी की आपूर्ति होती थी। इस समय गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और पुडुचेरी 'हर घर जल' राज्य बन गए हैं अर्थात् इन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में हर ग्रामीण घर के पास नल से पानी की आपूर्ति हो रही है। देश के 62 ज़िलों, 746 ब्लॉक और 91 हजार से ज्यादा गांवों में अब हर घर में नल से पीने योग्य पानी की आपूर्ति हो रही है।

प्रधानमंत्री के विज़न को साकार करने के लिए जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, जल आपूर्ति प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ काम कर रहा है ताकि हर घर के लिए पानी वाले नल कनेक्शन का प्रावधान किया जा सके।

## हरियाणा

हरियाणा में, जल जीवन मिशन की घोषणा से पहले, 31.03 लाख घरों में से केवल 17.67 लाख (57 प्रतिशत) घरों के पास पाइप से पानी का कनेक्शन था। जेजेएम के तहत 21 महीनों में 10.24 लाख ग्रामीण घरों को नल से पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए। साथ ही, हरियाणा में नल से पानी के कनेक्शन की संख्या 33 प्रतिशत बढ़ गई, अब 28.34 लाख (91.32 प्रतिशत) ग्रामीण घरों को नल से पानी की आपूर्ति हो रही है। राज्य में 5,150 गांव, 68 ब्लॉक और 8 ज़िलों में 'हर घर जल' की आपूर्ति की जा रही है तथा 8 और ज़िलों में 90 प्रतिशत से अधिक घरों में नल से पानी की आपूर्ति हो रही है।

हरियाणा ने 2021–22 तक 2.61 लाख घरों को और शेष 1.48 लाख घरों को 2022–23 में नल से पानी का कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। सरकार का लक्ष्य है कि गांवों



100 दिवसीय अभियान का असर: स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में नल से जल की सप्लाई



में 'कोई भी नहीं छूटना चाहिए' और गांवों को 100 प्रतिशत कवर किया जाए। जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा के लिए केंद्रीय आवंटन बढ़ाकर 1,119.95 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो कि 2020–21 से चार गुना ज्यादा है और 256.81 करोड़ रुपये राज्य के लिए जारी कर दिए गए हैं। इस आवंटन के साथ, राज्य ने 2,304.38 करोड़ रुपये निधि की उपलब्धता सुनिश्चित की है जिसमें 2021–22 में राज्य का हिस्सा और अव्यय राशि शामिल है।

### हिमाचल प्रदेश

जल जीवन मिशन की शुरुआत में, हिमाचल प्रदेश में 17.03 लाख घरों में से केवल 7.62 लाख (45 प्रतिशत) घरों में नल से

पानी की आपूर्ति की व्यवस्था थी। इन 21 महीनों में, 5.45 लाख (32 प्रतिशत) घरों को नल से पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया। अब, हिमाचल प्रदेश में 13.08 लाख (76.7 प्रतिशत) घरों को नल से पानी की आपूर्ति हो रही है और हिमाचल प्रदेश में 3 ज़िले, 11 ब्लॉक और 8,638 गांव 'हर घर जल' का लक्ष्य हासिल कर चुके हैं।

2020–21 में कोविड–19 महामारी के बावजूद, हिमाचल प्रदेश में 3.80 लाख ग्रामीण घरों को नल से पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश ने 2.08 लाख घरों को 2021–22 में और शेष 1.94 लाख घरों को 2022 में नल से पानी का कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। राज्य ने सभी 18,079 गांवों के प्रत्येक ग्रामीण घर को 2022 तक नल से पानी की आपूर्ति देने की योजना बनाई है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य की मदद के लिए, 2021–22 में हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के लिए केंद्रीय आवंटन बढ़ाकर 1,262.78 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो कि 2020–21 में 326.2 करोड़ रुपये था और इसमें से 315.7 करोड़ रुपये राज्य के लिए जारी कर दिए गए हैं।

### पंजाब

जल जीवन मिशन की शुरुआत में, पंजाब में केवल 16.78 लाख (48 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में नल से पानी की आपूर्ति होती थी। पिछले 21 महीनों में, 9.97 लाख ग्रामीण घरों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इसके 28.7 प्रतिशत बढ़ाने के साथ, पंजाब में अब 26.75 लाख (77 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में नल से पानी की आपूर्ति रही है। जेजेएम के तहत 2021–22 में 8.87 लाख घरों को नल से पानी की आपूर्ति की योजना बनाई गई है।

सभी ग्रामीण घरों को नल के पानी की उपलब्धता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1,656.39 करोड़ रुपये के केंद्रीय आवंटन

### जल जीवन मिशन— हर घर जल

03.06.2021 को प्रगतिशील एफएचटीसी (1) कवरेज

क्र. सं.	राज्य / केंद्रशासित प्रदेश	कुल घर	15.08.2019 को नल कनेक्शन के साथ घर		3.06.21 को नल कनेक्शन के साथ घर		मिशन के शुरू होने के बाद से नल के पानी की आपूर्ति	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	हरियाणा	31,03,078	17,66,363	56.92	27,90,518	89.93	10,24,155	76.62
2.	हिमाचल प्रदेश	17,03,626	7,62,721	44.77	13,07,736	76.76	5,45,015	57.92
3.	पंजाब	34,73,254	16,78,558	48.33	26,73,721	76.98	9,95,163	55.45
4.	जम्मू और कश्मीर	18,15,909	5,75,466	31.69	10,05,520	55.37	4,30,054	34.67
5.	लद्दाख	4,4082	1,414	3.21	4,137	9.38	2,723	6.38
	भारत	19,19,63,738	3,23,62,838	16.86	7,46,57,108	38.89	4,22,94,270	26.50



## स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रगतिशील नल कनेक्शन

क्र. सं.	राज्य / केंद्रशासित प्रदेश	स्कूलों की कुल संख्या	(3.06.21) की तारीख को स्कूलों में नल कनेक्शन		आंगनवाड़ी केंद्रों की कुल संख्या	(3.06.21) की तारीख को आंगनवाड़ी केंद्रों में नल कनेक्शन	
			संख्या	प्रतिशत		संख्या	प्रतिशत
1.	लद्दाख	981	507	51.68	1,157	514	44.43
2.	जम्मू और कश्मीर	22,492	20,079	89.27	24,149	21,366	88.48
3.	हिमाचल प्रदेश	17,298	17,298	100.00	17,769	17,769	100.00
4.	पंजाब	22,415	22,415	100.00	21,954	21,954	100.00
5.	हरियाणा	12,991	12,991	100.00	21,795	21,795	100.00
	भारत	10,30,820	6,53,790	63.42	11,47,151	5,83,730	50.89

को मंजूरी दी गई है, जो 2020–21 से 4.5 गुना अधिक है। वर्ष 2019–20 में, पंजाब के लिए केंद्रीय आवंटन 227.46 करोड़ रुपये था जिसे 2020–21 में 362.79 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया था। कम खर्च की वजह से, राज्य पिछले साल कोई केंद्रीय अनुदान नहीं ले सका और 362.79 करोड़ रुपये का संपूर्ण आवंटन वापस कर दिया। इस केंद्रीय आवंटन, बचे हुए धन और राज्य के हिस्से को मिलाकर, राज्य के पास जल जीवन मिशन के लिए 3,533.5 करोड़ रुपये हैं। 2022 तक सभी ग्रामीण घरों को नल का पानी प्रदान करने हेतु जल आपूर्ति परियोजना पूरी करने के लिए राज्य के पास वित्त की कोई कमी नहीं है।

### जम्मू और कश्मीर

जल जीवन मिशन की घोषणा से पहले, जम्मू और कश्मीर के 18.16 लाख ग्रामीण घरों में से केवल 5.75 लाख (31 प्रतिशत) घरों के पास पाइप के पानी की आपूर्ति होती थी। इन 21 महीनों में, कोविड-19 महामारी, लॉकडाउन और बाधाओं के बावजूद, 4.30 लाख (23.69 प्रतिशत) घरों को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया। जम्मू और कश्मीर में अब 10.05 लाख (55.7 प्रतिशत) ग्रामीण घरों को नल के पानी की आपूर्ति होती है।

जम्मू और कश्मीर ने 4.91 लाख घरों को 2021–22 में और 3.27 लाख घरों को 2022–23 में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। सभी ग्रामीण घरों को 2022 से पहले नल के पानी की उपलब्धता में इस केंद्रशासित प्रदेश की मदद के लिए केंद्रीय अनुदान को बढ़ाकर 2,747.17 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो 2020–21 से चार गुना ज्यादा है।

### लद्दाख

जल जीवन मिशन की शुरुआत में लद्दाख में केवल 1,414 (3.2 प्रतिशत) घरों के पास नल के पानी की आपूर्ति की सुविधा थी। जेजेएम के तहत 21 महीनों में 2,760 (6.4 प्रतिशत) घरों को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया है।

कठिन क्षेत्र, प्रतिकूल मौसम और दूर-दूर बसी बस्तियों जैसी चुनौतियों के बावजूद भी, लद्दाख ने 28,788 घरों को 2021–22 में और 11,568 घरों को 2022–23 में नल के पानी का कनेक्शन

देने की योजना बनाई है। अपने घर में नियमित तौर पर नल के सुरक्षित पानी की आपूर्ति की लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय आवंटन को 1,429.96 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है जो 2020–21 के मुकाबले चार गुना ज्यादा है।

जल जीवन मिशन के तहत 21 महीनों में, इन पांच उत्तर-पश्चिम राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 29.28 लाख से ज्यादा नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए। 15 अगस्त, 2019 को जेजेएम की घोषणा के बक्त, इन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में केवल 47.84 लाख ग्रामीण घरों में नल से पानी की आपूर्ति होती थी। टेबल से दिखाया गया है कि कैसे इन उत्तर-पश्चिम भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जल जीवन मिशन ने लाखों लोगों, खासकर मांओं, बहनों और बेटियों की ज़िंदगी बेहतर की है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास' पर ज़ोर दिया है। गांव के सभी घरों में नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित के प्रयास वाला जल जीवन मिशन इस सिद्धांत के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। 2022 में, जब भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष का जश्न मनाएगा, तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सभी घरों को नल के सुरक्षित पानी की आपूर्ति का विज़न हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में सच हो जाएगा। राष्ट्र द्वारा 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' का जश्न मनाने वाले साल में इस क्षेत्र की लाखों महिलाओं और लड़कियों को यह बेहतरीन उपहार होगा।

आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में बच्चों के लिए पीने का सुरक्षित पानी सुनिश्चित करने के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक 100 दिवसीय अभियान की घोषणा की थी जिसे 2 अक्टूबर, 2020 को केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यमंत्री श्री रतन लाल कटारिया द्वारा लांच किया गया। उत्तर-पश्चिम भारत में तीनों राज्य-हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ने स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए हैं। आशा है कि जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख भी इस लक्ष्य को जल्द ही पूरा कर लेंगे।

# मिशन बीसी सखी : हर घर तक बैंक सुविधा

—अभिषेक आनंद

बैंकिंग सेवा को घर-घर पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा बिज़नेस कोरेस्पॉर्डेंस एजेंट की अवधारणा को लाया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से एक तरफ जहां ग्रामीण परिवार की निर्धन महिलाओं को स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से संगठित करने का कार्य किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर, उनको बिज़नेस कोरेस्पॉर्डेंस सखी (बीसी सखी) के रूप में ग्राम पंचायतों में तैनात करके उनकी आजीविका में भी योगदान किया जा रहा है।

**आ**धुनिक विश्व के निर्माण में निरंतर बदलती तकनीकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की तरह बैंकिंग क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। वित्तीय लेनदेन के लिए बैंक में लगने वाली लंबी-लंबी लाइन को जहां एटीएम ने आकर कम कर दिया तो वहीं डिजिटल पेमेंट के माध्यम से लोग अब घर बैठे लेनदेन कर रहे हैं। इन सुविधाओं ने आज हमारा जीवन काफी सहज एवं सरल बना दिया है। मानव संसाधन की भारी कमी से जूझ रहे भारतीय बैंकों के लिए तो ये एक वरदान साबित हो रहा है क्योंकि आज एक बहुत बड़ा तबका डिजिटल बैंकिंग का उपयोग कर रहा है और बैंक की भीड़ को कम करने में कुछ तो योगदान ज़रूर कर रहा है। डिजिटल बैंकिंग का लाभ कहीं-न-कहीं देश के एक शिक्षित तबके तक ही सीमित रह जाता है जबकि हम जानते हैं कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी गांवों में रहता है और साक्षर नहीं है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ना वर्तमान में संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है। हां, ये बात ज़रूर है कि आज देश में युवाओं का

आकर्षण इस ओर काफी बढ़ चुका है और उसका मुख्य कारण नेटबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई जैसी सेवाओं का सहजता से उपलब्ध होना है।

आज भारत की गिनती दुनिया के सबसे तेज़ी से विकास कर रहे देशों में होती है लेकिन कोई भी विकास तब तक अधूरा है, जब तक उसका लाभ समाज के हर वर्ग तक न पहुंच जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए समाज के हर वर्ग तक वित्तीय सुविधा पहुंचाने हेतु सरकार निरंतर नए कदम उठा रही है। बैंकिंग सेवा को घर-घर पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा बिज़नेस कोरेस्पॉर्डेंस एजेंट की अवधारणा को लाया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से एक तरफ जहां ग्रामीण परिवार की निर्धन महिलाओं को स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से संगठित करने का कार्य किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर, उनको बिज़नेस कोरेस्पॉर्डेंस सखी (बीसी सखी) के रूप में ग्राम पंचायतों में तैनात करके उनकी आजीविका में भी योगदान किया जा रहा है।



ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान में बीसी सखी का प्रशिक्षण लेती स्वयंसहायता समूह की सदस्य



## मिशन वन जीपी वन बीसी

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मिशन वन जीपी वन बीसी को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के तहत देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वयंसंहायता समूह की महिला को बीसी सखी के रूप में पदस्थापित करना है। ये महिला उक्त ग्राम पंचायत में बीसी सखी के रूप में अपनी सेवा देगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा और बैंक में लगने वाली लंबी लाइनों से भी आम जनता को राहत मिलेगी।

## बीसी सखी का उद्देश्य

इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसंहायता समूहों एवं बैंकों के मध्य एक संपर्क—सूत्र स्थापित करना है। ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को बैंक के स्थान पर बीसी सखी के माध्यम से मिल सके, इसलिए यह 'बैंक जनता के द्वार' की परिकल्पना को साकार करने में मदद करेंगे। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए ग्रामीण परिवारों एवं स्वयंसंहायता समूहों में डिजिटल लेनदेन बढ़ाने का तथा वंचित परिवारों के वित्तीय समावेशन के लिए यह एक सशक्त माध्यम होगा।

इसके मुख्य उद्देश्य हैं—

- बिज़नेस कोरेस्पॉर्डेंस का विस्तार हर गांव तक किया जा सके;
- स्वयंसंहायता समूहों के बीच वित्तीय लेनदेन को बढ़ाया जा सके;
- स्वयंसंहायता समूह के साथ—साथ उनके उच्च संगठन यथा ग्राम संगठन, संकुल—स्तरीय संघ, उत्पादक समूह आदि में डिजिटल प्लेटफार्म पर लेनदेन को बढ़ावा दिया जा सके।
- एसएचजी सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों तथा अन्य ग्रामीण परिवारों के लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा उत्पाद को प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों को कम करना।
- स्वयंसंहायता समूह के सदस्यों को बीसी सखी के रूप में प्रोत्साहित करके उनके लिए आजीविका का एक साधन उपलब्ध करवाना।

## चयन, प्रशिक्षण तथा सर्टिफिकेशन

बीसी सखी के रूप में कार्य करने हेतु स्वयंसंहायता समूह की महिलाओं को कम—से—कम दसवीं पास होना आवश्यक होता है। यह प्रयास किया जाता है कि संबंधित महिला पहले से ही स्वयंसंहायता समूह हेतु एक कैडर का कार्य कर रही हो। इसके अतिरिक्त, यह भी ध्यान रखा जाता है कि महिला बैंक की डिफाल्टर न हो तथा एंड्राइड मोबाइल चलाना आता हो। अभ्यर्थी



का ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (आर—सेटी) के माध्यम से 6—8 दिन का प्रशिक्षण करवाया जाता है।

प्रशिक्षण के उपरांत भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान द्वारा ऑनलाइन परीक्षा ली जाती है तथा सफल होने पर स्वयंसंहायता समूह की सदस्य को प्रमाणपत्र दिया जाता है। चयनित बीसी सखी को कंप्यूटर तथा अन्य ज़रूरी उपकरण की खरीदारी करने हेतु 75,000 रुपये तक का ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है। प्रारंभिक दौर में बीसी सखी को छह माह तक सहयोग राशि के रूप में प्रति माह चार हजार रुपये का भुगतान संबंधित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया जाना है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तो पूरे प्रदेश में एक साथ 58000 बीसी सखी को ग्राम पंचायतों में स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। बिहार सरकार भी जीविका के माध्यम से इस मिशन पर अच्छा कार्य कर रही है। कोरोना महामारी के दौरान जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, तब बिहार में बीसी सखियों द्वारा काफी अच्छा कार्य किया गया है। जब पूरे देश के लोग लॉकडाउन में अपने—अपने घर में थे तब ये बीसी सखी घर—घर बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने का कार्य कर रहीं थीं। झारखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भी बीसी सखी योजना पर कार्य कर रहा है।

(लेखक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में जिला मिशन प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं।)

ई—मेल : abhishekaami@gmail.com

## कुरुक्षेत्र का आगामी अंक

अगस्त, 2021 – भारत : कृषि का पॉवरहाउस  
शीघ्र प्रकाशित  
ग्रामीण मार्केटिंग



Dr. Vishwanath Karad  
**MIT WORLD PEACE  
UNIVERSITY | PUNE**  
TECHNOLOGY, RESEARCH, SOCIAL INNOVATION & PARTNERSHIPS

Four Decades of Legacy and a Century Ahead



Best Private University  
To Study In India  
(INDIA TODAY 2018)



Best B School in India  
(Jagran Josh, B School  
ranking 2020)



Top Private Engineering  
Institutes in West Zone  
(TOI 2020)



Best Institute with  
Research Capability in India  
(TOI 2020)

**ADMISSIONS OPEN  
2021-22**

# **BA HONS GOVERNMENT & ADMINISTRATION**

***Be an Impactful  
Policy Maker***

## **Avail Merit Based Scholarships**

Candidates would be eligible for scholarships as per the MIT-WPU's Scholarship Policy.



### **Key Highlights of the Program:**

- A tailor made program to improve readiness for various competitive examinations.
- Imparts necessary knowledge, skills and develop a positive attitude to blend your future.
- Delivered & Mentored by eminent practitioners, UPSC Rank holders, Civil servants & the members of political fraternity.
- Blend of interactive learning methods with classroom teaching and Experiential learning.

### **Career Opportunities:**

- UPSC Examinations- Civil Services, CRPF, EFPO Etc. ■ State Service Commission Exams-MPSC, RJSC, UPPSC ■ Banking and Staff Selection Commission Exams-RBI, PSU Banks, NABARD etc. ■ Defence Examinations- Combined Defence services, SSB etc. ■ NGO and Think Tanks-Multi lateral Organisations, NGOs Fellowship programs etc. ... and many more...

**Apply Online [mitwpu.edu.in](http://mitwpu.edu.in) | Kothrud, Pune 38**

**admissions@mitwpu.edu.in 020 7117 7137 / 42 9881492848**



## योजना

विकास को समर्पित मासिक  
(हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू व 10 अन्य भारतीय भाषाओं में)

## आजकल

साहित्य एवं संस्कृति का मासिक  
(हिंदी तथा उर्दू)

# हमारी पत्रिकाएं

प्रकाशन विभाग  
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय  
भारत सरकार

## रोज़गार समाचार

साप्ताहिक  
(हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू)

## योजना

योजना  
मैट्रिक्स  
योजना  
आजकल  
धैर्य भारती

## कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास पर मासिक  
(हिंदी और अंग्रेजी)

## बाल भारती

बच्चों की मासिक पत्रिका  
(हिंदी)

## घर पर हमारी पत्रिकाएं मंगाना है काफी आसान...

आपको सिर्फ नीचे दिए गए 'भारत कोश' के लिंक पर जा कर पत्रिका के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करना है-  
<https://bharatkosh.gov.in/Product/Product>

## सदस्यता दरें

प्लान	योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल (सभी भाषा)	बाल भारती	रोज़गार समाचार		सदस्यता शुल्क में रजिस्टर्ड डाक का शुल्क भी शामिल है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर नए ग्राहकों को अब रोज़गार समाचार के अलावा सभी पत्रिकाएं केवल रजिस्टर्ड डाक से ही भेजी जाएंगी। पुराने ग्राहकों के लिए मौजूदा व्यवस्था बनी रहेगी।
वर्ष	रजिस्टर्ड डाक	रजिस्टर्ड डाक	मुद्रित प्रति (साधारण डाक)	ई-संस्करण	
1	₹ 434	₹ 364	₹ 530	₹ 400	
2	₹ 838	₹ 708	₹ 1000	₹ 750	
3	₹ 1222	₹ 1032	₹ 1400	₹ 1050	

ऑनलाइन के अलावा आप डाक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर से भी प्लान के अनुसार निर्धारित राशि भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय' के पक्ष में नई दिल्ली में देय होना चाहिए। रोज़गार समाचार की 6 माह की सदस्यता का प्लान भी उपलब्ध है, प्रिंट संस्करण रु. 265, ई-संस्करण रु. 200/-, कृपया ऑनलाइन भुगतान के लिए <https://eneversion.nic.in/membership/login> लिंक पर जाएं। डिमांड ड्राफ्ट 'Employment News' के पक्ष में नई दिल्ली में देय होना चाहिए। अपने डीडी, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर के साथ नीचे दिया गया 'सदस्यता कूपन' या उसकी फोटो कॉपी में सभी विवरण भरकर हमें भेजें। भेजने का पता है-

संपादक, पत्रिका एकांश, प्रकाशन विभाग, कक्ष सं. 779, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.

अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें- pdjucir@gmail.com

हमसे संपर्क करें – फोन: 011-24367453, (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रातः साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक)

**कृपया नोट करें कि पत्रिका भेजने में, सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद कम से कम आठ सप्ताह लगते हैं,  
कृपया इतने समय प्रतीक्षा करें और पत्रिका न मिलने की शिकायत इस अवधि के बाद करें।**

## सदस्यता कूपन ( नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन )

कृपया मुझे 1/2/3 वर्ष के प्लान के तहत ..... पत्रिका ..... भाषा में भेजें।

नाम ( साफ व बड़े अक्षरों में) .....

पता : .....

..... जिला ..... पिन .....

ईमेल ..... मोबाइल नं. ....

डीडी/पीओ/एमओ सं. ..... दिनांक ..... सदस्यता सं. ....

आर. एन. आई./708/57

डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2021-23

आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.

दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2021-23

01 जुलाई, 2021 को प्रकाशित एवं 5-6 जुलाई, 2021 को डाक द्वारा जारी




R.N.I/708/57

P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2021-23

ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2021-23

to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.

## अब उपलब्ध है...



## योग संचित

मूल्य - ₹ 355/-

आज ही नज़दीकी पुस्तक विक्रेता से खरीदें

ऑर्डर के लिए संपर्क करें :

फोन : 011-24365609

ई-मेल : [businesswng@gmail.com](mailto:businesswng@gmail.com)

वेबसाइट : [publicationsdivision.nic.in](http://publicationsdivision.nic.in)



### प्रकाशन विभाग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

टिकटर पर फोलो करें @DPD\_India

प्रकाशक और मुद्रक: मोनीदीपा मुखर्जी, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.

मुद्रक : जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020, वरिष्ठ संयादक: ललिता खुराना